

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र – वित्तीय वर्ष 2019-2020**

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण

मुंबई

1. यह प्रमाणपत्र बैंक ऑफ़ बड़ौदा ('इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित') के साथ हमारे करार की शर्तों के अनुरूप जारी किया गया है।
2. इस रिपोर्ट में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम'), विनियम 17-27, विनियम 46(2) के उपबंध (बी) से (आई) तक और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी और ई के अनुसार बैंक द्वारा 31 मार्च, 2020 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

प्रबंधन का दायित्व

3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करने का दायित्व प्रबंध तंत्र का होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में निर्धारित सूचीयन विनियम की शर्तों का अनुपालन करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव करना इनकी जिम्मेदारी होगी।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और इनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित होगी। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है न ही उन पर हमारी राय।
5. हमने बैंक द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी आवश्यक शर्तों के अनुपालन के संबंध में आश्वस्त होने के लिए बैंक के बही-खातों और तत्संबंधी अन्य अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।
6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शी नोट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणन मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') दोनों के अनुसार जांच की है। मार्गदर्शी नोट में हमसे अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा नैतिक मूल्य संहिता संबंधी नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की लेखापरीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा करने वाली संस्थाओं और अन्य आश्वासन एवं संबंधित करार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू अपेक्षाओं का पालन किया है।

राय

8. हमारी राय में और हमारी पूर्ण सूचना और बैंक द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अभ्यावेदनों के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक

Independent Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance – Financial Year 2019-2020

To,

The Members,

Bank of Baroda

Mumbai

1. This certificate is issued in accordance with our terms of engagement with the Bank of Baroda (hereinafter referred as "the Bank").
2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended March 31, 2020, as stipulated in Regulations 17 – 27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") amended from time to time.

Management Responsibility

3. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance on internal control and procedures to ensure the compliance with conditions of Corporate Governance stipulated in Listing Regulations.

Auditors Responsibility

4. Our responsibility is limited to examining procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.
5. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes and Guidance Note on Certification of Corporate Governance, ("Guidance Notes") both, issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). The Guidance Notes require that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC)1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and the



ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में उपर्युक्त सेबी विनियमन में यथा निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का इस हद तक अनुपालन किया है जिससे कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की अवहेलना न हो, जो निम्नलिखित के अधीन है:

- ए. बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या सूचीयन विनियमन के तहत निर्धारित अपेक्षित संख्या से कम है.
9. हम स्पष्ट करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भविष्य में व्यवहार्यता पर और न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्य निर्वहण की दक्षता या प्रभाविकता पर कोई आश्वासन है.

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित और जारी किया गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बैंक सूचीयन विनियम का पालन कर सके और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व लिखित सहमति के इस प्रमाणपत्र को दिखा कर/किसी के हाथ लगने पर इससे उत्पन्न किसी प्रकार की देयता या असावधानी के लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते.

representations provided by the Bank, we certify that the Bank in all material aspects has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, subject to –

- a. The number of directors on the Board of Nomination and Remuneration Committee of the Bank is less than the required number prescribed under the Listing Regulation.
9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते सिंघी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302049E
For Singhi & Co.
Chartered Accountants
FRN : 302049E

कृते जी एम कपाडिया एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 104767W
For **G M Kapadia & Co.**
Chartered Accountants
FRN : 104767W

कृते एस आर डिनोडिया एवं कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001478N / N500005
For **S R Dinodia & Co. LLP.**
Chartered Accountants
FRN : 001478N / N500005

(सीए श्वेता सिंघल)
साझेदार
एम नं. 414420
(CA Shweta Singhal)
Partner
M No. 414420
UDIN:20414420AAAAABN1756
Place: Mumbai

(सीए राजेन अशर)
साझेदार
एम नं. 048243
(CA Rajen Ashar)
Partner
M No. 048243
UDIN:20048243AAAAEZ9303
Place: Mumbai

(सीए संदीप डिनोडिया)
साझेदार
एम नं. 083689
(CA Sandeep Dinodia)
Partner
M No. 083689
UDIN:20083689AAAAACE8087
Place: New Delhi

कृते दास गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000112N
For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
FRN : 000112N

कृते जे काला एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 118769W
For **J Kala & Associates**
Chartered Accountants
FRN : 118769W

(सीए पंकज मंगल)
साझेदार
एम नं. 097890
(CA Pankaj Mangal)
Partner
M No. 097890
UDIN:20097890AAAAAY5948
Place: New Delhi

(सीए जयेश काला)
साझेदार
एम नं. 101686
(CA Jayesh Kala)
Partner
M No. 101686
UDIN: 20101686AAAAAP8415
Place: Mumbai

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2019-20

Corporate Governance Report 2019-20

गवर्नेंस संहिता पर बैंक की मान्यता

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस पर उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसी हर पद्धति पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्कृष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन बैंक के परिचालनों का एक अभिन्न अंग है।
- विश्व भर में कार्पोरेट गवर्नेंस संगठनात्मक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां, स्पर्धात्मक बढ़त बनाने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस मान्यता पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेहिता जैसे मूल्यों में प्रतिबिम्बित होती है।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा यह मानता है कि कार्पोरेट गवर्नेंस को मात्र एक नियामक आवश्यकता की दृष्टि से न देखा जाए क्योंकि कारोबार के संगठन, कार्पोरेट दायित्व और शेयरधारकों की आय को अधिकाधिक बढ़ाना, यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

बैंक ने अपनी सभी गतिविधियों में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत को सर्वव्यापी रूप से अपनाया है। बैंक इन आयामों में निरंतर उत्कृष्टता लाने में सदैव प्रयासरत रहता है और अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के अन्य सदस्यों सहित सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य में अविरत वृद्धि करता रहता है। बैंक का कार्पोरेट गवर्नेंस निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होता है:

- शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अधिकतम स्तर पर पहुंचाना।
- सभी हितधारकों के साथ संव्यवहार में निष्पक्ष, नैतिक एवं पारदर्शिता।
- ग्राहकों, कर्मचारियों एवं बृहद् समाज सहित सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण।
- कार्यनिष्पादन एवं ग्राहक सेवा हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- बैंक के कार्यनिष्पादन एवं परिचालनों से संबंधित सभी मामलों में समय पर एवं सटीक प्रकटीकरण।
- हमारे बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए व्यवसाय करना।
- उत्कृष्ट स्तर का कार्पोरेट नेतृत्व तैयार करना।

बैंक के बुनियादी मूल्य इस प्रकार हैं:

1. सत्यनिष्ठा: हम अपने सभी हितधारकों के साथ वाणी, कार्यों और संव्यवहार में नैतिक और पारदर्शी हैं।
2. ग्राहक केन्द्रीयता: हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र हमारे ग्राहकों का हित है।
3. साहस: हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने मूल्यों पर विश्वास करते हैं।
4. उत्साहपूर्ण स्वामित्व: हम अपने बैंक के प्रति ऊर्जा, उत्साह एवं अपनत्व का भाव रखते हैं और एक साथ मिल कर बैंक के लिए कार्य करते हैं।
5. नवोन्मेषिता: हम नवीन विचारों से मूल्य संवर्धन करते हैं।

BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

- Bank of Baroda is committed to adopting best recognized corporate governance practices and continuously benchmarking itself against each such practice. The adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations.
- Corporate Governance is emerged as an essential tool in the organizational management globally. Strong corporate governance practices have become crucial in achieving competitive advantage and positively impacting profitability.
- The Bank's corporate governance philosophy is reflected by the values of transparency, professionalism and accountability.
- Bank of Baroda believes that there is a need to view Corporate Governance as more than just regulatory requirements as there is a generic connection among the organization of business, corporate responsibility and shareholder's wealth maximization

The Bank has infused the philosophy of corporate governance into all its activities. The Bank constantly strives towards betterment of these aspects and thereby perpetuates it into generating long term economic value for all its stakeholders including shareholders, customers, employees and other society members. Bank's corporate governance is governed by the following principles:

- Enhance and maximize the shareholders value
- Fair, ethical and transparent in dealings with all the stake holders
- Protection of the interest of all stake holders including customers, employees and society at large
- Ensuring accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels
- Timely and accurate disclosures on all matters pertaining to the performance and operations of the Bank
- Carrying the business adhering to our core values
- Creating corporate leadership of highest standard

The core cardinal values of the Bank are:

1. Integrity: We are ethical and transparent in our words, actions and dealings with all stakeholders.
2. Customer Centricity: Our customers' interests lie at the core of all our actions.
3. Courage: We are resilient in the face of adversity and having faith in our beliefs.
4. Passionate Ownership: We display energy, enthusiasm and commitment towards our Bank and we work together for the Bank.
5. Innovation: We create value with break-through ideas.



6. उत्कृष्टता: हम अपनी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

बैंक यह मानता है कि मजबूत कार्पोरेट गवर्नेंस एक जिम्मेदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतरता एवं प्रभावोत्पादकता की संस्कृति है जो संगठन में सर्वत्र प्रचलित है। बैंक एक सूचीबद्ध एंटीटी है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, सिवाय इसके कि ये विनियमन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधान और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत नहीं होते हैं।

बैंक में कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल

कार्यदायित्व एवं गठन

निदेशक मंडल का कार्यदायित्व अन्य दायित्वों के साथ निम्नानुसार है:

- नीतियां और नीतिगत फ्रेमवर्क को स्थापित करना,
- सार्थक एवं नीतिपरक निर्णय लेना,
- लक्ष्य प्राप्ति का अवलोकन,
- हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना,
- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी रखना

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार निदेशक मण्डल का **स्वरूप अनुबंध-1 एवं 1ए** में प्रस्तुत है।

प्रत्येक निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् कोर प्रबंधन टीम जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, वे आचार संहिता के अंतर्गत शासित होते हैं, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिसे बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

निदेशक मंडल की बैठकें :

बैंक को एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें आयोजित करनी होती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की -17- बैठकें संपन्न हुईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 22.05.2019, 07.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 21.08.2019, 26.09.2019, 08.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 26.12.2019, 24.01.2020, 27.02.2020, 23.03.2020

6. Excellence: We strive for continuous improvement in our policies, systems and processes.

The Bank believes that sound corporate governance is a culture of accountability, fairness, transparency, consistency and effectiveness which is practiced across the organization. The Bank is a listed entity; not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank has complied with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India.

A report on implementation on provisions of Corporate Governance in the Bank is as below:

BOARD OF DIRECTORS

Role and Composition

The role of the Board includes amongst others:

- To establish policies and policy framework,
- To make significant and strategic decisions,
- To oversee the pursuit of objectives,
- To protect and maximize the interest of the stakeholders
- To oversee the risk profile of the Bank

The composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended. The composition of the Board as on 31st March, 2020 is as per **Annexure-1 and 1A**.

Each Director and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads are governed by Code of Conduct approved by the Board which is posted on the Bank's website i.e. www.bankofbaroda.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed the compliance of the Code.

MEETINGS OF BOARD

Board is required to meet a minimum of six times in a year. During the Financial Year 2019-20, 17 meetings were held. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings: 25.04.2019, 22.05.2019, 07.06.2019, 13.06.2019, 14.06.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 21.08.2019, 26.09.2019, 08.11.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 13.12.2019, 26.12.2019, 24.01.2020, 27.02.2020, 23.03.2020

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अडिया	Dr. Hasmukh Adhia	17	17
श्री पी. एस. जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	9	9
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	3	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	9	9
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	8	8
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	17	17
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	17	17
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	15	8
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	2	2
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	17	14
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	7	5
डॉ. भरत कुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	17	17
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	17	16
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	17	16
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	8	8

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

इसके अतिरिक्त गैर-कार्यपालक निदेशकों की अलग बैठक 2019-20 के दौरान निम्नानुसार हुई:

In addition, separate meeting of independent non-executive directors was also held during 2019-20 as under:

बैठक की तारीख: 26.02.2020

Date of Meeting: 26.02.2020

निदेशकों / कार्यपालकों की समितियां / उप-समितियां

COMMITTEES / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और / अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:

Board has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance. The important Committees are as under:

1. निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
4. निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
5. हितधारक संबंधपरक समिति
6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
7. ग्राहक सेवा समिति
8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
9. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
10. निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
11. निदेशकों की समिति
12. वसूली निगरानी समिति
13. शेयर/ बांड अंतरण समिति
14. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं सीएसआर पर निदेशक मंडल की स्टियरिंग समिति
15. गैर-सूचीबद्ध अनुषंगियों के लिए गवर्नेंस समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)
3. Audit Committee of the Board (ACB)
4. Risk Management Committee of the Board
5. Stakeholders Relationship Committee
6. Nomination & Remuneration Committee
7. Customer Service Committee
8. Committee on High Value Frauds
9. IT Strategy Committee
10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR
11. Committee of Directors
12. Committee for Monitoring of Recovery
13. Shares/Bonds Transfer Committee
14. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR
15. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries
16. Review Committee on Wilful Defaulters



1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

समिति व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव की मंजूरी, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चों की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक (गण) तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से एक निदेशक होते हैं। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

आयोजित बैठकें: 41

बैठकों की तारीखें: 09.04.2019, 16.04.2019, 26.04.2019, 07.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 24.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 23.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 23.12.2019, 26.12.2019, 02.01.2020, 08.01.2020, 22.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 04.03.2020, 06.03.2020, 17.03.2020, 27.03.2020.

1. Management Committee of the Board (MCB)

The Committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

It consists of Managing Director & CEO, Executive Director(s) and Directors nominated by Government of India under Section 9(3)(c) and One Director from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 41

Dates of Meetings: 09.04.2019, 16.04.2019, 26.04.2019, 07.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 04.06.2019, 07.06.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 25.06.2019, 02.07.2019, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 24.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 23.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 23.12.2019, 26.12.2019, 02.01.2020, 08.01.2020, 22.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 04.03.2020, 06.03.2020, 17.03.2020, 27.03.2020.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	24	22
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	7	7
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	23	21
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	18	18
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	41	34
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	41	34
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	41	22
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	41	31
श्री श्रीनिवासन श्रीधर*	Shri Srinivasan Sridhar*	16	12

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

* Ceased to be member during the year.

2. निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा रु 800/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों को सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाता है। समिति में सभी पूर्णकालिक निदेशक, सीएफओ, सीआरओ एवं संबद्ध वॉर्टिकल के प्रमुखों का समावेश है। बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

2. Credit Approval Committee of the Board (CACB)

The credit proposals which exceed the powers delegated to Managing Director & CEO and are up to Rs. 800 crore are considered for approval by the CACB. The Committee comprises of all Whole Time Directors, CFO, CRO and respective Heads of verticals. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

आयोजित बैठकें: 27

No. of Meetings held: 27

बैठकों की तारीखें: 10.04.2019, 14.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 11.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 20.09.2019, 26.09.2019, 30.09.2019, 11.10.2019, 02.11.2019, 14.11.2019, 05.12.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 26.12.2019, 31.12.2019, 07.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 04.03.2020, 12.03.2020, 30.03.2020.

Dates of Meetings: 10.04.2019, 14.05.2019, 11.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 11.07.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 09.09.2019, 20.09.2019, 26.09.2019, 30.09.2019, 11.10.2019, 02.11.2019, 14.11.2019, 05.12.2019, 13.12.2019, 18.12.2019, 26.12.2019, 31.12.2019, 07.01.2020, 31.01.2020, 06.02.2020, 04.03.2020, 12.03.2020, 30.03.2020.

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings Held During Their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी. एस. जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	14	14
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	5	5
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	13	11
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	14	14
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	27	21
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	27	23
श्री रमेश गोपालरतनम - सीएफओ	Shri Ramesh Gopalratnam - CFO	27	24
श्री सिद्धेश्वर पात्रा - सीआरओ	Shri Sidheswar Patra - CRO	27	17

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

3. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

3. Audit Committee of the Board (ACB)

एसीबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

The functions of ACB, inter alia, include

- लेखापरीक्षा समिति समग्र बैंक की लेखापरीक्षा संबंधी कार्यों के परिचालनों को तथा लेखापरीक्षा आयोजना को दिशा देती है तथा उनकी देखरेख करती है, जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना, उनका परिचालन एवं गुणवत्ता, आंतरिक नियंत्रण संस्तुतियों और बैंक के आंतरिक/ समवर्ती/ सांविधिक/ बाहरी लेखापरीक्षकों के सुझावों का अनुवर्तन शामिल है। यह बैंक द्वारा केवाईसी - एएमएल अनुपालन, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र, नियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों की अपवादात्मक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन की समीक्षा भी करती है।
- यह, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा एवं बैंक की लेखा नीतियों/प्रणाली नीतियों की समीक्षा करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही हैं एवं संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन किया गया है। यह समिति तिमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार-विमर्श करती है; समीक्षा करती है तथा बोर्ड को अनुमोदन के लिए संस्तुत करती है।
- लेखापरीक्षा समिति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के अनुपालन के लिए फॉलो-अप करती है। यह लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी फॉलो-अप करती है।

- ACB provides directions and oversees the operations of audit function and audit plan of the Bank including the internal audit organization, its operation and quality, internal control recommendations and follow-up the suggestions of Internal / concurrent/ Statutory/ External Auditors of the Bank. It also reviews KYC-AML compliance by the Bank, major areas of housekeeping, exception reporting and compliance of regulatory and statutory guidelines.
- It reviews the adequacy of internal control systems and the financial, risk management, IS Audit, and Accounting Policies / System Policies of the Bank.
- The committee assesses and reviews the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are accurate and in compliance with relevant guidelines. It interacts with Statutory Auditors before finalization of quarterly / annual financial statements; reviews them and recommends to the Board for approval.
- ACB follows up for compliance of all the issues raised by RBI, during Risk Based Supervision of the Bank under Section 35 of B. R. Act 1949. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR)

समिति में कुल पांच सदस्य हैं (i) भारत सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) गैर-कार्यपालक निदेशक (सीए) (v) एक गैर- कार्यपालक निदेशक.

The Committee comprises -5- members (i) GOI Nominee Director (ii) RBI Nominee Director (iii) Bank's Executive Director- In charge of Internal Audit Function (iv) Non-Executive Director (CA) (v) One Non-Executive Director



आयोजित बैठकें: 17

बैठकों की तारीखें: 04.04.2019, 25.04.2019, 18.05.2019, 22.05.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 04.09.2019, 27.09.2019, 09.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 29.11.2019, 23.01.2020, 24.01.2020, 28.02.2020.

No. of Meetings held: 17

Dates of Meetings: 04.04.2019, 25.04.2019, 18.05.2019, 22.05.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, 04.09.2019, 27.09.2019, 09.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 29.11.2019, 23.01.2020, 24.01.2020, 28.02.2020.

निदेशक का नाम	Name of Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)	Shri Srinivasan Sridhar (Chairperson)	9	9
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	17	17
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	17	15
डॉ. भरतकुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	7	7
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	1	0
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	8	8
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda *	16	5

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एसीबी ने अन्य के अलावा निम्नलिखित की समीक्षा की:

- आरबीआई नीति-घरेलू, आरबीआई नीति-अंतर्राष्ट्रीय, ऋण लेखापरीक्षा नीति, संगामी लेखापरीक्षा नीति, आईएस लेखापरीक्षा नीति का अनुमोदन/ समीक्षा.
- बैंक की अधिवर्षिता योजना के निधियन हेतु नीति का अनुमोदन.
- कर्मचारियों/निदेशकों के लिए आंतरिक व्हिसल ब्लोवर नीति का अनुमोदन.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी समीक्षा एवं अनुमोदन.
- संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति के अंतर्गत बहुप्रयोजन लेनदेन का अनुमोदन.
- आंतरिक/ कार्यालय बहियों को खोलना, परिचालित करना, समीक्षा, निगरानी, मिलान और अन्य आस्तियों के प्रावधान संबंधी नीति का अनुमोदन.
- बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पूर्ववर्ती विजया बैंक एवं पूर्ववर्ती देना बैंक के समामेलन के संबंध में प्रदत्त लेखांकन विधि पर नोट.
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों दोनों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति.
- विदेशी विनियामक द्वारा अनुषंगियों/शाखाओं का विनियामक निरीक्षण.
- एनबीएफसी/ एचएफसी में बैंक के प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष एक्सपोजर की स्थिति की समीक्षा.
- आंतरिक/ कार्यालय बहियों के परिचालन संबंधी विशेष लेखापरीक्षा.
- जोखिम अल्पीकरण योजना (आरएमपी-2018 एवं आरएमपी-2019) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवलोकनों की समीक्षा.

During FY 2019-20, ACB inter-alia approved/reviewed the following:

- Approval/ Review of RBIA Policy-Domestic, RBIA Policy-International, Credit Audit Policy, Concurrent Audit Policy, IS Audit Policy
- Approval of Policy for funding of Superannuation schemes of Bank.
- Approval of Internal Whistle Blower Policy for Employees / Directors
- Review and approval of Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of Omnibus Transactions under Policy on Related Party Transactions & Material Subsidiaries
- Approval of policy on Opening, Operating, Reviewing, Monitoring, Reconciliation of Internal / Office Accounts and Provisioning of other Assets
- Note on accounting treatment to be given on amalgamation of Erstwhile Vijaya Bank & Erstwhile Dena Bank with Bank of Baroda
- Appointment of Statutory Auditors for both Domestic & International operations.
- Regulatory examination of Subsidiaries / Branches by Overseas Regulator
- Review the status of Bank's Direct / Indirect exposure to NBFCs/HFC
- Special Audit on Operation of Internal / Office accounts
- Review of observations made by RBI under Risk Mitigation Plan (RMP-2018 & RMP-2019)

- वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं तिमाही (जून-2019 से दिसंबर-2019) के लिए बैंक के स्टैंडअलोन/समेकित परिणाम के अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल की अनुशंसा.

4. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

जोखिम प्रबंधन समिति, बैंक द्वारा उठाए जा रहे समग्र जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है. बैंक ने जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखापरीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके.

बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) इस समिति के संयोजक हैं. जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृढ़ बनाने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया है. इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 8

बैठकों की तारीखें: 21.05.2019, 07.06.2019, 24.07.2019, 26.09.2019, 07.11.2019, 26.12.2019, 23.01.2020, 23.03.2020.

- Recommended to the Board for approval of the Standalone / Consolidated Financial results of the Bank for the FY 2018-19 and Quarter (June -2019 to Dec-2019).

4. Risk Management Committee of the Board:

Risk Management Committee reviews and evaluates the overall risks assumed by the Bank. The Bank has set up risk management architecture comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Controls and Risk Audit, all with a view to identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

Chief Risk Officer (CRO) of the Bank is the convener of the Committee. To strengthen the expertise on Risk Management, the Bank has also inducted specialists in the area of risk management as advisors to the Board who are part of this Committee. The dates of the meetings and attendance of the members of Committee are as under:

No. of Meetings held: 8

Dates of Meetings: 21.05.2019, 07.06.2019, 24.07.2019, 26.09.2019, 07.11.2019, 26.12.2019, 23.01.2020, 23.03.2020.

निदेशक / सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	8	7
श्री पी. एस. जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	4	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	8	8
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	8	8
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	4
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	8	6
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	8	8
श्रीमती सुजाता वेंकटरमन - सलाहकार*	Smt. Sujatha Venkatramanan - Advisor*	3	1
श्री हिमाद्रि भट्टाचार्य - सलाहकार	Shri Himadri Bhattacharya - Advisor	8	8

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year.

वर्ष के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का अनुमोदन/ समीक्षा की:

- कृषि ग्राहकों के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- एमएसएमई वर्ग के लिए लक्ष्य बाजार पद्धति
- फाटका/सीआरएस संबंधी नीति
- वैश्विक ऋण एक्सपोजर प्रबंधन नीति
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों पर विवेकसम्मत वैश्विक सीमा निर्धारण.
- आरबीआई विनियमित एनबीएफसी-एनडी-सिस, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मार्केट जोखिम प्रबंधन नीति और जोखिम संबंधी नीतियों सहित प्रतिपक्षी बैंकों पर एक्सपोजर सीमा संबंधी नीति और ऋणों की सह-उत्पत्ति के लिए नीति.

During the year, the Committee inter-alia approved/reviewed following:

- Target Market Approach for Agriculture customers
- Target Market Approach for MSME segment
- Policy on FATCA-CRS
- Global Credit Exposure Management Policy
- Global Prudential caps on various Industries and Sectors for the financial year 2019-20
- Policy on Exposure Limits on Counterparty banks, Policy for Co-origination of loans with RBI regulated NBFC-ND-Sis, Cyber Security Policy, Market Risk Management Policy and other Risk related policies



5. हितधारक संबंधपरक समिति

यह समिति शेयरों के ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, सामान्य बैठकों आदि सहित सूचीबद्ध एंटीटियों के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों से संबंधित निगरानी करती है। यह समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है।

इस समिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकगण) एवं दो गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं तथा एक गैर-कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं। इन बैठकों की तारीखें और समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 01.10.2019, 26.12.2019.

5. Stakeholders Relationship Committee

The Committee monitors grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee consists of Executive Director (s) and two non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 26.06.2019, 01.10.2019, 26.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री श्रीनिवासन श्रीधर (अध्यक्ष)	Shri Srinivasan Sridhar (Chairman)	1	1
डॉ. भरतकुमार डी डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	3	3
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	1	1
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई निम्नलिखित शिकायतों / अनुरोधों को समिति द्वारा नोट किया गया:

Following requests/complaints received and resolved during the year were noted by the Committee:

दि. 01.04.2019 तक लंबित Pending as on 01.04.2019	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निस्तारित Resolved during the year	दि. 31.03.2020 तक लंबित Pending as on 31.03.2020
0	8014	8014	0

श्री पी के अग्रवाल, कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 6 के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

Shri P K Agarwal, Company Secretary is the designated "Compliance Officer" of the Bank under Regulation 6 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

6. नामांकन समिति

यह समिति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचन हेतु व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर फिट एण्ड प्रॉपर' स्टेटस सुनिश्चित करती है। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 1

बैठकों की तारीखें: 22.05.2019,

6. Nomination Committee

The Committee ascertains 'Fit and Proper' status of persons to be elected as shareholder director on the Board as per the provisions of Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also on annual basis for these directors. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 1

Date of Meeting: 22.05.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their Tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अडिया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	1	1
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	1	1
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे

*ceased to be member during the year

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार इस समिति का पारिश्रमिक समिति में विलय कर दिया गया है और अब दिनांक 26.09.2019 से इसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से जाना जाता है।

The Committee has since been merged with Remuneration Committee and now known as "Nomination & Remuneration Committee" as per RBI directives w.e.f. 26.09.2019.

7. ग्राहक सेवा समितियां

7. Customer Service Committee

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्गों के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना और संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है।

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times.

समिति निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करती है:

The Committee has also the following tasks:

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं/ लॉकर किराएदारों/ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.
- लंबित सीओपीआरए मामलों की स्थिति की समीक्षा.

- To oversee the functioning of and compliance with the recommendations of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services.
- To review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- To review the status of the number of deceased claims remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.
- To review the status of the COPRA cases remaining pending.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

आयोजित बैठकें: 3

No. of Meetings held: 3

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019.

Dates of Meetings: 26.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	0	0
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	2	0
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	2
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	1	1
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	3	3

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.



8. बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति

समिति बैंक में रु 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी करती है ताकि:

- (ए) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें.
- (बी) धोखाधड़ी पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान, यदि है, तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग.
- (सी) सीबीआई/ पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी.
- (डी) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही का परीक्षण हो और जहां स्टाफ पर कार्रवाई अपेक्षित हो, अविलम्ब की जाए.
- (ई) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना.

इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 21.08.2019,
28.11.2019, 27.02.2020.

8. Committee on High Value Frauds

The Committee monitors high value frauds of ₹1.00 crore and above in the Bank so as to:

- a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place remedial measures to plug the same.
- b) Identify the reasons for delay in detection, if any, and reporting to the Top Management and RBI.
- c) Monitor progress of CBI / Police Investigation, and recovery position.
- d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.

The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 25.04.2019, 21.08.2019,
28.11.2019, 27.02.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P S Jayakumar*	2	1
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	3	3
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	2	2
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	4	4
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	4	3
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	2	2
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	3
श्री के एन नायक (सीवीओ)*	Shri K N Nayak (CVO)*	3	3
श्रीमती एस श्रीमथी (सीवीओ)	Smt. S Srimathy (CVO)	1	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/ अनुमोदन किया है:

- वेयरहाउस/ स्टोरेज रसीद के पेटे वित्तपोषण से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया.
- स्वर्ण आभूषण/ गहनों के पेटे ऋण हेतु सुदृढ़ नियंत्रणों को लागू किया गया.
- बड़े ऋण एक्सपोजर की बेहतर तथा विशेषीकृत निगरानी के लिए ऋण निगरानी एजेंसियों (सीएमए)/ और प्रोजेक्ट निगरानी एजेंसियों (पीएमए) के नियोजन हेतु दिशानिर्देशों को परिचालित किया गया
- फिनाकल सिस्टम के साथ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) को एकीकृत किया गया
- धोखाधड़ी की स्थिति में सीबीआई शिकायत को दर्ज करने के लिए मानक परिचालनगत प्रक्रिया (एसओपी) को लागू किया गया.

9. बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं सायबर धोखाधड़ियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने अपने निदेशक मंडल की दिनांक 27 फरवरी, 2012 की बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया. बैंक ने तीन आईटी विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के सदस्य हैं. इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 21.05.2019, 24.07.2019,
07.11.2019, 23.01.2020.

During FY 2019-20, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Guidelines on financing against warehouse/storage receipts have been revised.
- Enhanced controls have been implemented for lending against gold ornaments/jewellery.
- Guidelines for engagement of Credit Monitoring Agencies (CMA)/and Project Monitoring Agencies (PMA) for better and specialized monitoring of large credit exposure have been circulated.
- Structured Financial Messaging System (SFMS) has been integrated with finacle system.
- Standard Operating Procedure (SOP) on lodgment of CBI Complaint in fraud has been implemented.

9. IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee. The Bank has inducted three IT specialists as Advisors who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 21.05.2019, 24.07.2019,
07.11.2019, 23.01.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर (अध्यक्ष)	Dr. Bharatkumar D. Dangar (Chairman)	4	4
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	2	2
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	2	2
श्री शांति लाल जैन*	Shri Shanti Lal Jain*	4	1
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची*	Shri Vikramaditya Singh Khichi*	4	1
श्री शरद सक्सेना – सीटीओ	Shri Sharad Saxena – CTO	4	3
डॉ. दीपक बी फाटक – सलाहकार	Dr. Deepak B. Phatak – Advisor	4	4
श्री कल्याण राव* – सलाहकार	Shri Kalyana Rao* - Advisor	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

बैंक, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर अपने उत्पाद, प्रणाली व संरचना में सुधार कर रहा है. बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने पर ग्राहकों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी संरचना का निरंतर उन्नयन करना पड़ता है.

The Bank is constantly evolving its products, systems and structure to meet the growing aspirations of the customers. Digitization of banking services has raised the expectations of the customers thus driving continuous upgradation of the IT infrastructure.



10. मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की कार्यनीति सलाहकार समिति

यह समिति मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करती है। बैंक ने मा.सं. के क्षेत्र में दो विशेषज्ञों को बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जो इस समिति के भी सदस्य हैं। इन बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 5

बैठकों की तारीखें: 11.04.2019, 26.06.2019, 25.10.2019, 27.12.2019, 28.01.2020.

10. Strategic Advisory Committee of the Board on HR

The Committee discusses various matters/issues related to Human Resources. The Bank has inducted two specialists in the area of HR as Advisors to the Board who are also members of the Committee. The dates of the meetings and attendance of the Directors are as under:

No. of Meetings held: 5

Dates of Meetings: 11.04.2019, 26.06.2019, 25.10.2019, 27.12.2019, 28.01.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया	Dr. Hasmukh Adhia	3	3
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	4	4
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S.Jayakumar*	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	5	4
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta *	2	2
श्री श्रीनिवासन श्रीधर	Shri Srinivasan Sridhar	5	5
श्री कृष शंकर – सलाहकार	Shri Krish Shankar - Advisor	5	1

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की समीक्षा/ अनुमोदन किया है:

- कर्मचारी नियोजन नीति का अनुमोदन
- बैंक में खेल नीति का अनुमोदन
- बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के समामेलन को देखते हुए स्टाफ संबंधी लाभ और स्टाफ संबंधी ऋण उत्पादों को अनुकूल करने हेतु संशोधन/ आशोधन
- समामेलित इकाई के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कर्मचारी कल्याण निधि के लिए भारतीय रुपए में 50 करोड़ के ऋण का अनुमोदन
- समामेलन के बाद बैंक की आईआर स्थिति की समीक्षा की गई
- बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद की शुरुआत से भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों का समावेश.
- 1) सीआरओ की नियुक्ति, 2) महाप्रबंधक या मुख्य महाप्रबंधक पद हेतु पदोन्नति के लिए न्यूनतम शेष सेवा, 3) बैंक में नेतृत्व प्रक्रिया का निर्माण करना, 4) विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए जॉब फैमिली पद्धति की शुरुआत, 5) निरंतर प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों के लिए वार्षिक, अनिवार्य भूमिका आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम की व्यवस्था – के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का समावेश
- सेवा की उत्कृष्टता के लिए बैंक स्तरीय कार्यक्रम हेतु अनुमोदन

During FY 2019-20, the Committee inter-alia approved/ reviewed the following:

- Approval of the Employee Engagement policy.
- Approval of Sports Policy in the Bank.
- Revision / Modification in Harmonization of staff Benefits and Staff Loans products in view of amalgamation of Vijaya Bank & Dena Bank with Bank of Baroda
- Approval of credit of INR 50 crores towards staff welfare fund for FY 2019-20 for the amalgamated entity
- Reviewed the IR Scenario of the Bank post amalgamation.
- Incorporation of the guidelines issued by the Govt of India on the introduction of the post of CGMs in the Bank.
- Incorporation of the guidelines issued by the Govt of India in the matter of 1) Appointment of CRO, 2) Minimum residual service for promotion to GM or CGM, 3) creating leadership pipeline in the Bank, 4) Introduction of a system of Job families for facilitating specialization, 5) Institution of annual, mandatory role based e- learning programme for officers for continuous learning.
- Approval for the Bank wide programme on service Excellence.

11. निदेशकों की समिति

यह समिति वित्त मंत्रालय के अनुरूप सतर्कता/ गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है। इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 3

बैठकों की तारीखें: 22.05.2019, 24.07.2019, 26.12.2019.

11. Committee of Directors

This Committee deals with review of vigilance/non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with MOF guidelines. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 3

Dates of Meetings: 22.05.2019, 24.07.2019, 26.12.2019.

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	2	2
श्री देबाशीष पांडा*	Shri Debasish Panda*	3	1
श्री अमित अग्रवाल	Shri Amit Agrawal	0	0
श्री अजय कुमार	Shri Ajay Kumar	3	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	3	3

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year

12. वसूली निगरानी के लिए समिति

यह समिति बैंक में एनपीए प्रबंधन की समीक्षा करती है; ऋण एवं अग्रिमों की वसूली प्रणाली एवं वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करती है और बड़ी राशि के एनपीए खातों की निगरानी करती है। इन बैठकों की तारीखें और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 11

बैठकों की तारीखें: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 06.11.2019, 22.01.2019, 29.02.2020, 23.03.2020.

12. Committee for Monitoring of Recovery

The Committee reviews NPA management in the Bank; provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 11

Dates of Meetings: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 06.11.2019, 22.01.2019, 29.02.2020, 23.03.2020.

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	3	3
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	7	5
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	5	3
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	11	10
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	11	7
श्री मुरली रामस्वामी	Shri Murali Ramaswami	11	9
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	11	11
श्रीमती सौंदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	8	8
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	3	3
श्री रजनीश शर्मा (म.प्र., प्रमुख कॉर्पोरेट एवं संस्थागत ऋण)	Shri Rajneesh Sharma (GM, Head Corporate & Inst. Credit)	11	9
श्री के जी गोयल (म.प्र. - प्रमुख ऋण गुणवत्ता एवं पोर्टफोलियो निगरानी)	Shri K G Goyal (GM - Head Credit Quality & Portfolio Monitoring)	11	10

*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

*ceased to be member during the year.



समिति ने एनपीए एवं बड़ाकृत खातों में वसूली की समग्र स्थिति, एनपीए खातों में वसूली कार्रवाई की स्थिति, इरादतन चूककर्ता, आईबीसी के अंतर्गत प्रगति एवं वसूली में वृद्धि हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विभिन्न कार्यनीतियों/ पहलों के समग्र कार्यान्वयन/ प्रगति की समीक्षा की।

13. शेयर/ बांड अंतरण समिति

समिति शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करती है एवं अनुमोदन करती है।

आयोजित बैठकें: 46

बैठकों की तारीखें: 05.04.2019, 15.04.2019, 20.04.2019, 03.05.2019, 04.05.2019, 20.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 25.06.2019, 01.07.2019, 09.07.2019, 18.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 22.08.2019, 26.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 22.10.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 04.12.2019, 10.12.2019, 02.01.2020, 04.01.2020, 13.01.2020, 21.01.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020, 31.03.2020

The Committee reviewed overall position of recovery in NPA and written off accounts, status of recovery actions in NPA accounts, wilful defaulters, progress under IBC and overall implementation/progress of various strategies/initiatives taken by the Bank for maximization of recovery.

13. Shares/Bonds Transfer Committee:

The Committee considers and approves transfer / transmission of shares / bonds and other issues like issue of duplicate share certificate, deletion of name, change of status, etc.

No. of Meetings held: 46

Dates of Meetings: 05.04.2019, 15.04.2019, 20.04.2019, 03.05.2019, 04.05.2019, 20.05.2019, 30.05.2019, 06.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 25.06.2019, 01.07.2019, 09.07.2019, 18.07.2019, 24.07.2019, 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 22.08.2019, 26.08.2019, 28.08.2019, 09.09.2019, 17.09.2019, 23.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 22.10.2019, 31.10.2019, 06.11.2019, 20.11.2019, 22.11.2019, 04.12.2019, 10.12.2019, 02.01.2020, 04.01.2020, 13.01.2020, 21.01.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 02.03.2020, 04.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020, 31.03.2020

निदेशक/ सदस्य का नाम	Name of the Director / Member	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	9	1
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P. S. Jayakumar*	27	6
श्री मुरली रामास्वामी	Shri Murali Ramaswami	21	14
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	25	19
श्री शांति लाल जैन	Shri Shantil Lal Jain	46	33
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	46	31
श्री आर के माथुर	Shri R K Mathur	46	44
श्री एन वेणुगोपाल	Shri N Venugopal	46	37

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे।

*ceased to be member during the year.

14. ग्रामीण-वित्तीय समावेशन एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर निदेशक मंडल की संचालन समिति

समिति द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा बैंक द्वारा की जाने वाली सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा उसके सामाजिक प्रभाव हेतु पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है। इन बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 4

बैठकों की तारीखें: 25.04.2019, 21.08.2019, 29.11.2019, 27.02.2020

14. Steering Committee of the Board on Rural – FI & CSR

The Committee oversees all activities under the Bank's Corporate Social Responsibility Policy and institutes a transparent monitoring mechanism for implementation of CSR projects or programs or activities undertaken by the Bank and social impact of the same. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 4

Dates of Meetings: 25.04.2019, 21.08.2019, 29.11.2019, 27.02.2020

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
डॉ. हसमुख अढ़िया (अध्यक्ष)	Dr. Hasmukh Adhia (Chairman)	4	4
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P S Jayakumar*	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri Sanjiv Chadha	1	1
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्री मुरली रामस्वामी	Shri. Murali Ramaswami	2	2
श्री शांति लाल जैन	Shri Shanti Lal Jain	4	4
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	4	4
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	Shri Gopal Krishan Agarwal*	1	1
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D Dangar	4	4
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	4	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

15. सूचीबद्ध न हों, ऐसी अनुषंगियों की गवर्नेंस समिति

सूचीबद्ध न हो, ऐसी अनुषंगियों के गवर्नेंस पर निगरानी रखने के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप यह समिति गठित की गई है। इसकी बैठकों की तारीखें एवं सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकें: 2

बैठकों की तारीखें: 26.06.2019, 26.09.2019

15. Governance Committee for Unlisted Subsidiaries

This Committee is constituted as per SEBI guidelines to monitor the governance of unlisted subsidiaries. The dates of the meetings and attendance of the members are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meetings: 26.06.2019, 26.09.2019

निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री पी एस जयकुमार (अध्यक्ष)*	Shri P.S. Jayakumar (Chairman)*	2	2
श्री संजीव चड्ढा	Shri. Sanjiv Chadha	0	0
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	Smt. Papia Sengupta*	2	2
श्रीमती सौंदरा कुमार	Smt. Soundara Kumar	2	2

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

16. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

यह समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जनवरी, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप इरादतन चूककर्ताओं की पहचान संबंधी प्रणाली में संशोधन के अनुसार गठित की गई है।

आयोजित बैठकें: 12

बैठकों की तारीखें: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 15.11.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 22.01.2020, 29.02.2020, 23.03.2020.

16. Review Committee on Wilful Defaulters

This Committee is constituted as per modification in the Mechanism for identification of Wilful Defaulters as per Reserve Bank of India guidelines dated 7th January, 2015.:

No. of Meetings held: 12

Dates of Meetings: 26.04.2019, 24.05.2019, 26.07.2019, 18.09.2019, 01.10.2019, 11.10.2019, 15.11.2019, 20.11.2019, 27.12.2019, 22.01.2020, 29.02.2020, 23.03.2020.



निदेशक का नाम	Name of the Director	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकों में उनकी उपस्थिति Meetings Attended
श्री संजीव चड्ढा (अध्यक्ष)	Shri Sanjiv Chadha (Chairman)	3	3
श्री पी एस जयकुमार*	Shri P.S. Jayakumar*	6	6
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	Shri Vikramaditya Singh Khichi	3	3
डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	Dr. Bharatkumar D. Dangar	12	12
श्रीमती साँदरा कुमार*	Smt. Soundara Kumar*	6	6
प्रो. बीजू वर्की	Prof. Biju Varkkey	6	6

* वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

* ceased to be member during the year

निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर- कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक) को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप वेतन के रूप में किया गया. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2019-20 में पारिश्रमिक (₹.)
श्री संजीव चड्ढा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	₹. 6,96,137/-
श्री पी एस जयकुमार*	पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	₹.18,58,595/-
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता*	कार्यपालक निदेशक	₹. 16,99,561/-
श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक	₹. 31,64,877/-
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक	₹. 31,75,563/-
श्री मुरली रामास्वामी	कार्यपालक निदेशक (दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी)	₹. 45,05,016/-

*कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे. श्री पी. एस. जयकुमार को ₹.11,11,453/- का और श्रीमती पापिया सेनगुप्ता को ₹. 57,13,568/- का सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान किया गया है.

वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रदत्त प्रोत्साहन - शून्य

REMUNERATION OF DIRECTORS

The remuneration including travelling and halting expenses to non-Executive Directors is paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & CEO and Executive Directors (whole time directors) are paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. At present the Bank has no Stock Option Scheme. The details of remuneration paid to the Managing Director & CEO and Executive Director/s are detailed below:

Remuneration paid during the Financial Year 2019-20:

Name	Designation	Remuneration in FY 2019-20 (₹)
Shri Sanjiv Chadha	MD & CEO	Rs.6,96,137/-
Shri P S Jayakumar*	Ex-MD & CEO	Rs.18,58,595/-
Smt. Papia Sengupta*	Executive Director	Rs.16,99,561/-
Shri Shanti Lal Jain	Executive Director	Rs.31,64,877/-
Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director	Rs.31,75,563/-
Shri Murali Ramaswami	Executive Director (w.e.f. 01.10.2019)	Rs.45,05,016/-

*ceased during the year on completion of tenor. Retirement benefits of Rs. 11,11,453/- also paid to Shri P. S. Jayakumar and Rs. 57,13,568/- paid to Smt. Papia Sengupta.

Performance Linked Incentives paid during 2019-20: Nil

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में भाग लेने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	राशि (₹.)
1	डॉ. हसमुख अढ़िया	18,30,000/-
2	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल*	5,10,000/-
3	डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	22,25,000/-
4	श्रीमती सौंदरा कुमार	23,25,000/-
5	श्री श्रीधर श्रीनिवासन	21,05,000/-
6	प्रो. बिजू वरकी	12,30,000/-

* कार्यकाल की समाप्ति होने पर वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.

सामान्य सभा की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को बड़ौदा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. डॉ. हसमुख अढ़िया	शेयरधारक
2. श्री पी एस जयकुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. श्री शांति लाल जैन	कार्यपालक निदेशक
4. श्री विक्रमादित्य सिंह खीची	कार्यपालक निदेशक
5. श्री अजय कुमार	निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक)
6. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल	निदेशक - अध्यक्ष एसीबी
7. डॉ. भरतकुमार डी. डांगर	निदेशक (शेयरधारक)- अध्यक्ष एससीआर
8. श्रीमती सौंदरा कुमार	निदेशक (शेयरधारक)
9. श्री श्रीधर श्रीनिवासन	निदेशक (शेयरधारक)

Sitting Fee paid to Non-executive Directors:

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2019-20 are as under (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Directors representing Government of India & RBI):

Sr. No.	Name of the Director	Amount (₹)
1	Dr. Hasmukh Adhia	18,30,000/-
2	Shri Gopal Krishna Agarwal*	5,10,000/-
3	Dr. Bharat Kumar Dangar	22,25,000/-
4	Smt. Soundara Kumar	23,25,000/-
5	Shri Sridhar Srinivasan	21,05,000/-
6	Prof. Biju Varkkey	12,30,000/-

*ceased during the year on completion of tenor

GENERAL BODY MEETINGS

The 23rd Annual General Meeting of the shareholders of the Bank for FY 2018-19 was held on Thursday, 27th June 2019 at Vadodara, in which following directors participated.

1. Dr. Hasmukh Adhia	Chairman
2. Shri P. S. Jayakumar	Managing Director & CEO
3. Shri Shanti Lal Jain	Executive Director
4. Shri Vikramaditya Singh Khichi	Executive Director
5. Shri Ajay Kumar	Director (RBI)
6. Shri Gopal Krishan Agarwal	Director - Chairperson ACB
7. Dr. Bharatkumar D Dangar	Director (Shareholder)- Chairman SRC
8. Smt. Soundara Kumar	Director (Shareholder)
9. Shri Sridhar Srinivasan	Director (Shareholder)



गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य सभा/ पोस्टल बैलट की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

The details of General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	कार्यवाही Business Performed
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 23rd Annual General Meeting (AGM)	दिनांक 27 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे 27th June, 2019 at 10.00 a.m.	पंडित दीनदायल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चोकड़ी के पास, आजवा रोड - 390019 Pandit Deendayal Upadhyay Nagar Gruh, Opp. Kailash Party Plot, Near Ajwa Chowkdi, Ajwa Road, Vadodara - 390019	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 11,900/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन बैंक ऑफ बड़ोदा कर्मचारी शेयर खरीदी योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को 15,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करना. Approved Annual Financial Results for the year 2018-19. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 11,900/- crore by way of various modes by Special Resolution. Issue of upto 15,00,00,000 Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
पोस्टल बैलट Postal Ballot	10 दिसंबर, 2019 10th December 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	<p>विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 107.45 प्रति शेयर पर 65,14,65,798 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 65,14,65,798 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 107.45 per share to GOI on preferential basis.</p> <p>पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/संवीक्षा की गई</p> <p>Postal Ballot exercise has been conducted in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.</p>
पोस्टल बैलट Postal Ballot	8 जून, 2019 08th June 2019	पोस्टल बैलट Postal Ballot	<p>विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 117.65 प्रति शेयर पर 42,85,59,286 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 42,85,59,286 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 117.65 per share to GOI on preferential basis.</p> <p>पोस्टल बैलट की प्रक्रिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई और मेसर्स एस एन अनंतासुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई द्वारा आयोजन/संवीक्षा की गई</p> <p>Postal Ballot exercise has been conducted in accordance with guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs, GOI / SEBI and conducted / scrutinized by M/s S N Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries, Mumbai.</p>

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	कार्यवाही Business Performed
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) Extra Ordinary General Meeting (EGM)	दिनांक 21 जनवरी, 2019 को सुबह 10.00 बजे 21st January 2019 at 10.00 a.m.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा भवन, सर सयाजी सभागार, भू-तल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007 Bank of Baroda, "Baroda Bhavan", Sir Sayaji Hall, Ground Floor, Head Office, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390007	बैंक ऑफ़ बड़ौदा कर्मचारी शेयर खरीद योजना (बीओबी-ईएसपीएस) के अंतर्गत कर्मचारियों और पूर्ण कालिक निदेशकों को इक्विटी शेयर जारी करना Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank under Bank of Baroda Employee Share Purchase Scheme ("BOB-ESPS")
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को सुबह 10.00 बजे 10th December 2018 at 10.00 a.m.	सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020	श्री श्रीनिवासन श्रीधर का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयन किया गया. Elected Shri Srinivasan Sridhar as Shareholder Director of the Bank.
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 22nd Annual General Meeting (AGM)	दिनांक 13 जुलाई, 2018 को सुबह 10.00 बजे 13th July, 2018 at 10.00 a.m.		<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 6,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमोदन Approved Annual Financial Results for the year 2017-18. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 13 मार्च, 2018 को सुबह 10.00 बजे 13th March 2018 at 10.00 a.m.		विशेष संकल्प द्वारा भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य की दर से रु. 157.46 प्रति शेयर पर 34,13,56,534 तक के इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन Approved by Special Resolution to issue upto 34,13,56,534 equity shares of the FV of ₹ 2/- each @ ₹ 157.46 per share to GOI on preferential basis.
असाधारण सामान्य बैठक EGM	दिनांक 22 दिसंबर, 2017 को सुबह 10.00 बजे 22nd December 2017 at 10.00 a.m.		श्री भरतकुमार डी. डांगर एवं श्रीमती सौंदरा कुमार का बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में चयन किया गया. Elected Shri Bharatkumar D Dangar and Smt Soundara Kumar as Shareholder Directors of the Bank.
21वीं वार्षिक सामान्य बैठक 21st AGM	दिनांक 30 जून, 2017 को सुबह 10.00 बजे 30th June, 2017 at 10.15 a.m.		<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम का अनुमोदन विशेष संकल्प द्वारा कई प्रणालियों से रु. 6,000/- करोड़ तक इक्विटी पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन Approved Annual Financial Results and declared dividend for the year 2016-17. Approved raising of Equity Capital upto ₹ 6,000/- crore by way of various modes by Special Resolution.



संप्रेषण के साधन

बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारी के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है। निवेशकों एवं हितधारकों को समय पर, पारदर्शी तरीके से एवं व्यापक स्तर पर सूचनाओं का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है। शेयरधारकों की सहभागिता में सुविधा हो इसके लिए बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और प्रॉक्सी एवं प्रतिनिधियों को शेयरधारकों की अनुपस्थिति में उनकी ओर से मतदान की अनुमति देता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत या भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं। बैंक वित्तीय परिणामों तथा प्रबंधन के दृष्टिकोण के संबंध में विश्लेषकों की बैठकें, मीडिया मीट, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ भी बैठकें आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही/ ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ विश्लेषकों को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाएं बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर उपलब्ध रहते हैं। विश्लेषक बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संग्रहीत वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
खातों (स्टैंडअलोन एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	23 जून, 2020
24वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	दिनांक: 31 जुलाई, 2020 समय: प्रातः 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
बहियां बंद करने की तारीख	24 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020

शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. “एक्सचेंज प्लाजा” बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 एनएसई कोड : BANKBARODA	बीएसई लि. फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई - 400 001 बीएसई कोड : 532134
--	--

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present means of communication. Timely, transparent and enhanced level of disclosures to investors and stakeholders is ensured. To facilitate shareholders' participation, the Bank is using Electronic voting platform and allowing proxies and authorized representatives to vote on behalf of shareholders in absentia.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Gujarat (in Gujarati). The Bank also organizes analyst meets, media meets, meetings with investors/analysts etc. on Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official announcements are posted on the Bank's Website - www.bankofbaroda.in. The live webcast of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website and the archived webcast is also made available on the website for 30 days.

FINANCIAL CALENDAR

Financial Year	1st April, 2019 to 31st March, 2020
Board Meeting for considering of Accounts (Standalone & Consolidated)	23rd June 2020
Date, Time & Venue of the 24th AGM	Date: 31st July 2020 Time: 10.00 A.M. Through Video Conference
Book Closure Dates	24th July 2020 to 31st July 2020

SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

National Stock Exchange of India Ltd., “Exchange Plaza” Bandra Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai - 400 051 NSE CODE : BANKBARODA	B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 BSE CODE : 532134
---	---

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid.



स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के मूल्य, शेयरों के सौदों की मात्रा और इंडेक्स डाटा

SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2019 से 31.03.2020 तक) (प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)

a. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2019 to 31.03.2020) (Equity Share of the Face Value of ₹2/- each)

अवधि/Period	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) BSE LTD. (Bombay Stock Exchange)		
	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	व्यापार प्रमात्रा (सं.) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल-19/Apr-19	137.30	113.75	37,98,97,042	137.15	113.80	2,14,49,953
मई-19/May-19	144.00	104.25	58,23,22,518	143.60	104.15	3,41,64,674
जून-19/Jun-19	135.10	114.30	44,64,87,505	135.10	114.35	2,50,04,216
जुलाई-19/Jul-19	132.85	101.35	53,29,14,616	132.80	101.40	3,20,76,135
अगस्त-19/Aug-19	107.15	89.65	55,97,99,125	107.10	89.10	3,18,32,036
सितंबर-19/Sep-19	103.15	90.30	53,11,59,609	103.05	90.45	3,65,05,130
अक्तूबर-19/Oct-19	99.00	85.65	56,16,25,582	99.00	85.70	3,61,71,238
नवंबर-19/Nov-19	108.25	90.65	62,08,67,229	108.25	90.60	4,68,58,090
दिसंबर-19/Dec-19	106.15	94.20	51,23,97,753	106.15	94.20	2,97,82,278
जनवरी-20/Jan-20	104.85	92.00	48,45,77,783	104.85	92.00	2,13,26,794
फरवरी-20/Feb-20	93.25	73.30	39,21,91,545	93.25	73.40	1,65,54,702
मार्च-20/Mar-20	78.35	46.50	60,63,71,493	78.10	47.00	3,11,59,429

बी. अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक इंडेक्स डाटा (मासिक अंतिम मूल्य)

b. Index Data from April 2019 to March 2020 (Monthly Closing Values)

तारीख Date	निफ्टी 50 NIFTY 50	निफ्टी बैंक NIFTY BANK	बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB NSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)	एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स S&P BSE SENSEX	एसएंडपी बीएसई बैंकेक्स S&P BSE BANKEY	बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रुपए के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर) BOB BSE (Equity Share of FV of ₹2/- each)
30 अप्रैल, 2019/30-Apr-19	11748.15	29764.8	116.65	39031.55	33328.45	116.4
31 मई, 2019/31-May-19	11922.8	31375.4	133.25	39714.2	35264.03	133.25
28 जून, 2019/28-Jun-19	11788.85	31105.2	121.60	39394.64	34971.86	121.85
31 जुलाई, 2019/31-Jul-19	11118	28876	106.70	37481.12	32689.44	106.65
30 अगस्त, 2019/30-Aug-19	11023.25	27427.85	92.60	37332.79	30949.72	92.6
30 सितंबर, 2019/30-Sep-19	11474.45	29103.15	93.05	38667.33	32889.09	93.05
31 अक्तूबर, 2019/31-Oct-19	11877.45	30066.25	95.65	40129.05	33924.81	97.2
29 नवंबर, 2019/29-Nov-19	12056.05	31946.1	104.90	40793.81	36190.99	104.9
31 दिसंबर, 2019/31-Dec-19	12168.45	32161.65	101.90	41253.74	36671.5	101.9
31 जनवरी, 2020/31-Jan-20	11962.1	30833.6	92.70	40723.49	35289.35	92.65
28 फरवरी, 2020/28-Feb-20	11201.75	29147.15	76.30	38297.29	33416.19	76.5
31 मार्च, 2020/31-Mar-20	8597.75	19144	53.55	29468.49	22050.02	53.55



रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान

बैंक ने मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/ कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/ अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-

मेसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32,
गचिबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 008
फोन: (040) 67162222;
ई मेल : einward.ris@karvy.com

निजी रूप से रखे गए बांडों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है , जिनके पते निम्नानुसार हैं :-

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लिए	पूर्ववर्ती विजया बैंक के लिए	पूर्ववर्ती देना बैंक के लिए
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भू - तल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलाई एस्टेट मुंबई - 400 001 टेलीफोन : (022) 40807000 ई मेल : itsl@idbitrustee.com	मेसर्स केटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लि.: जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85, भूसारी कलोनी (दाएं), पौड रोड, पुणे -411 038 टेलीफोन : (020) 2528 0081 ई मेल : dt@ctltrustee.com मेसर्स केनरा बैंक: मेसर्स केनरा बैंक: ईटी एवं टी सेक्शन, एफएम एवं एस विंग, हेड ऑफिस, सं. 112, जे. सी. रोड, बेंगलुरु - 5460002 टेलीफोन : 080-22223165 ई मेल : hoett@canarabank.com	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. सेंट्रल बैंक - एमएमओ बिल्डिंग, तृतीय तल (ईस्ट विंग), 55 एमजी रोड, मुंबई - 400001 टेलीफोन : (022) 2261 6217 ई मेल : hv.kamdar@cfsi.in

बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग भी स्थापित किया है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोध / शिकायतों के समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें /

REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT, SHARE TRANSFER SYSTEM AND REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES

The Bank has appointed M/s. KFin Technologies Private Limited as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

M/s. KFin Technologies Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Karvy Selenium Tower B, Plot No.31 & 32
Gachibowli, Financial District
Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad - 500 008
Phone: (040) 67162222;

E Mail: einward.ris@karvy.com

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

For Bank of Baroda	For eVijaya Bank	For eDena Bank
IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai - 400 001 Tel: (022) 40807000; Email: itsl@idbitrustee.com	M/s. Catalyst Trusteeship Ltd: GDA House, Plot No. 85, Bhusari Colony (Right), Paud Road, Pune - 411 038 Tel: (020) 2528 0081; Email: dt@ctltrustee.com M/s. Canara Bank: M/s. Canara Bank: ET & T Section, FM&S Wing, Head Office, No. 112, JC Road, Bangalore - 560002 Tel: 080-22223165; Email: hoett@canarabank.com	Centbank Financial Services Ltd Central Bank - MMO Bldg, 3rd Floor (East Wing) 55 MG Road, Fort, Mumbai 400001 Tel: (022) 2261 6217; Email: hv.kamdar@cfsi.in

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein Shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/requests at the address given

अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं:

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निवेशक सेवाएं विभाग सातवीं मंजिल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 दूरभाष : (022) 6698 5733/5743 ई-मेल: investorservices@ bankofbaroda.com	बैंक ऑफ़ बड़ौदा महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवाएं 7 वां तल, बड़ौदा भवन आर.सी. दत्त रोड अल्कापुरी, वड़ोदरा 390 007 टेलीफोन : (0265) 2316792 ई-मेल : operations.ho@ bankofbaroda.com
---	---

(उपरोक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 6(2) (डी) के अनुपालन में निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है। इसके अलावा यदि कोई शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं - shareholderdirectors@bankofbaroda.com

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किए गये सभी भौतिक शेयरों के अंतरण, अनुरोध किए जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी हो जाएं।

शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च 2020 तक की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Description	कुल मामले Total Cases	कुल शेयर Total Shares	कुल मामले % Total Cases %
1	विदेशी नागरिक	Foreign Nationals	6	10,238	0.00
2	भारत सरकार	Government Of India	1	3,30,81,84,689	71.60
3	यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया	Unit Trust Of India	2	544	0.00
4	वैकल्पिक निवेश फंड	Alternative Investment Fund	3	46,99,710	0.10
5	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	437	74,82,081	0.16
6	अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ)	H U F	10739	59,39,508	0.13
7	अनिवासी भारतीय	Non Resident Indians	6775	1,17,65,250	0.25
8	बैंक	Banks	25	1,26,62,560	0.27
9	निवासी व्यक्ति	Resident Individuals	884206	35,56,17,848	7.70
10	कर्मचारी	Employees	1886	19,30,340	0.04
11	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	Indian Financial Institutions	4	54,696	0.00
12	एनबीएफसी	Nbfc	10	30,239	0.00
13	कॉर्पोरेट निकाय	Bodies Corporates	3239	3,02,28,363	0.65
14	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	25	55,000	0.00
15	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	1,10,000	0.00
16	म्यूचुअल फंड	Mutual Funds	115	46,26,30,377	10.01
17	ट्रस्ट	Trusts	60	3,47,17,499	0.75
18	विदेशी पोर्टफोलियो - कोर्प	Foreign Portfolio - Corp	145	21,11,60,342	4.57
19	पात्र संस्थागत क्रेता	Qualified Institutional Buyer	14	53,95,497	0.12
20	बीमा कम्पनियां	Insurance Companies	43	16,46,25,544	3.56
21	अनिवासी भारतीय-गैर प्रत्यावर्तनयोग्य	Non Resident Indian Non Repatriable	3351	32,66,261	0.07
	कुल	Total	911089	4,62,05,66,586	100.00

below at Head Office, Vadodara:

Bank of Baroda Investors' Services Department 7th Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra- Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 6698 5733/5743 E - mail : investorservices@ bankofbaroda.com	Bank of Baroda General Manager, Operations and Services, 7th Floor, Baroda Bhavan, R C Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 Telephone : (0265) 2316792 E-mail: operations.ho@ bankofbaroda.com
--	---

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Further, Shareholders who wish to ask questions to the Board of Directors of the Bank can mail their questions at - shareholderdirectors@bankofbaroda.com

The Bank ensures that transfer of all the physical shares tendered are duly effected within a period of -15- days from the date of their lodgment.

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

a. Shareholding Pattern as on 31st March 2020



बी. शेयरधारकों का वितरण – 31 मार्च 2020 तक का श्रेणीवार

b. Distribution of Shareholders – Category Wise as on 31st March 2020

क्र. सं. Sr. no	श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	शेयरों की संख्या No of Shares	राशि Amount	राशि का प्रतिशत % Amount
1	1-5000	884249	97.05	22,50,42,931	45,00,85,862	4.87
2	5001- 10000	15848	1.74	5,67,25,320	11,34,50,640	1.23
3	10001- 20000	8916	0.98	5,91,19,229	11,82,38,458	1.28
4	20001- 30000	709	0.08	87,66,324	1,75,32,648	0.19
5	30001- 40000	354	0.04	62,37,308	1,24,74,616	0.14
6	40001- 50000	163	0.02	36,60,340	73,20,680	0.08
7	50001- 100000	378	0.04	1,35,90,478	2,71,80,956	0.29
8	100001 & Above	472	0.05	4,24,74,24,656	8,49,48,49,312	91.92
	TOTAL:	911089	100.00	4,62,05,66,586	9,24,11,33,172	100.00

सी. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए करार किया है. शेयरधारक अपने शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. के माध्यम से अभौतिकीकरण कर सकते हैं.

31 मार्च 2020 तक बैंक के पास भौतिक एवं अभौतिक रूप में इच्छिटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं. Sr No	धारिता का प्रकार	Nature of holding	मामलों की संख्या No. of Cases	शेयरों की संख्या No. of Shares	प्रतिशत % Percentage %
1	सी.डी.एस.एल.	CDSL	3,17,084	3,45,41,69,418	74.76
2	एन.एस.डी.एल.	NSDL	4,67,328	1,12,99,71,220	24.46
3	भौतिक	PHYSICAL	1,26,677	3,64,25,948	0.79
	कुल:	Total:	9,11,089	4,62,05,66,586	100.00

बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 27,38,300 शेयर) जब्त किए जिनमें से 24000 शेयर (उप-विभाजन से पूर्व 4800 शेयर) 31 मार्च 2020 तक रद्द कर दिए गए.

31 मार्च 2020 तक एस्करो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:
ए. उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

c. Dematerialization of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered into Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2020 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below:

The Bank had forfeited 1,36,91,500 equity shares (27,38,300 shares before sub-division) in the year 2003 and out of the same 24000 equity shares (4800 shares before sub-division) were annulled up to 31st March 2020.

STATUS OF SHARES LYING IN ESCROW/SUSPENSE ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 2020

a. Status of shares lying in Suspense A/c (Physical Shares – returned undelivered)

01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2019		वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2019-20		31 मार्च 2020 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2020	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
69	86000	0	0	0	69	86000



बी. एस्करो / उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (डीमेट शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)

b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares – returned undelivered)

01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष Opening Balance as on 01.04.2019		वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नामे किए गए शेयर Shares debited during the Financial Year 2019-20		31 मार्च 2020 को उपलब्ध अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2020	
शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares
155	92690	0	0	0	155	92690

हम पुष्टि करते हैं कि जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक उपर्युक्त अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी।

लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान:

बैंक निवेशकों को, जहां निवेशकों द्वारा मंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बाँडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपने मंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मे. केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

सचिवालयीय लेखा परीक्षा

बैंक द्वारा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए मे. रागिनी चोकशी एंड कंपनी को वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट से सम्बंधित कार्य हेतु कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्षिक सचिवालयीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

प्रकटीकरण :

- यहां भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका व्यापक स्तर पर बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो. इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए लेखांकन संबंधी टिप्पणियों में पार्टी संबंधी प्रकटीकरण किया गया है.
- बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है.
- हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची V के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.
- सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2020 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.
- बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीदें अथवा वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य.

We confirm that the voting rights on the shares stated at the last column of table (a) and (b) above shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the investors. For the purpose, the Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit etc.

Investors may lodge their mandate with the Bank's Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. KFin Technologies Private Limited, at the address given in this report.

SECRETARIAL AUDIT

The Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co, Practicing Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2020. Annual Secretarial Audit Report has been annexed hereto.

DISCLOSURES

- There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Disclosure is made in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.
- There is no non-compliance by the Bank in respect of Regulations/ Guidelines issued by SEBI / Stock Exchanges / any Statutory Authority on any matter related to capital markets during the last 3 years and as such no penalties / strictures imposed on the Bank.
- We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations
- All the Directors have disclosed that they have no relationship inter-se as on 31st March 2020.
- Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.



6. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कॉमोडिटी में कोई व्यापार नहीं किया है, अतः “कॉमोडिटी कीमत जोखिम और कॉमोडिटी बचाव गतिविधियां” शून्य हैं.
7. **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:**
बैंक के स्वतंत्र निदेशकों के लाभार्थ आयोजित किए गए परिचय-कार्यक्रम का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/training-to-directors-2019-20-17-04-2020.pdf> पर उपलब्ध है.
8. **व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश**
भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा संबंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) के आधार पर लोगों के लिए व्हीसल ब्लोअर दिशानिर्देश संबंधी विवरण बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf> पर उपलब्ध है. इस संबंध में किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति को एक्सेस करने से मना नहीं किया गया है.
9. **संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति**
संबद्ध पार्टी लेनदेन एवं महत्वपूर्ण अनुषंगियों संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/RPT-Policy-2019-16-10-2019.pdf> पर उपलब्ध है.
10. **महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारक, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण**
6. The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2019-20 and hence the information on “Commodity price risks and commodity hedging activities” is NIL.
7. **Familiarization programme for Independent Directors**
The details of the Familiarization Programme conducted for the Independent Director of the Bank are available on the Bank’s website at <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/training-to-directors-2019-20-17-04-2020.pdf>
8. **Whistle Blower Guidelines**
The details of the Bank’s Whistle Blower Guidelines for the public based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) are available on the Bank’s website at <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/Images/pdf/whistle-blower-guidelines-for-website-new.pdf> No personnel has been denied access to the audit committee.
9. **Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries**
The details of the Bank’s Policy on Related Party Transactions and Material Subsidiaries are available on the Bank’s website at <https://www.bankofbaroda.in/writereaddata/images/pdf/RPT-Policy-2019-16-10-2019.pdf>
10. **Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**

क्र. सं. Sr No	वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the financial year	वित्त वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year
1	14	12	2

11. संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 के दौरान संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग, संशोधन सहित, यदि कोई हो, जिसमें उस संस्था के सभी नाम लिखत या सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध संस्था की योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में हो या विदेश में, उनकी सूची:
11. List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2019-20, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad

लिखत का स्वरूप / Type of Instrument	क्रिसिल / CRISIL	केयर / CARE	आईसीआरए / ICRA	इंडिया रेटिंग / INDIA Rating	ब्रिकवर्क / Brickwork	मूडी / Moody	फिच / Fitch
बासेल II लोअर टियर II / Basel II Lower Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable			एएए/स्थिर/ AAA/Stable		
बासेल II अपर टियर II / Basel II Upper Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एए+ /स्थिर/ AA+/Stable					
आईपीडीआई (बासेल II) / IPDI (Basel II)	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एए+ /स्थिर/ AA+/Stable					
बासेल III टियर II / Basel III Tier II	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable	एएए/स्थिर/ AAA/Stable		
एटी-1 (बासेल III) / AT-1 (Basel III)	एए+ /ऋणात्मक / AA+ / Negative	एए/ स्थिर/ AA/Stable	एए/ स्थिर/ AA/Stable	एए+ /स्थिर/ AA+/Stable	एए+ /स्थिर/ AA+/Stable		
जमा प्रमाणपत्र / Certificate of Deposit		ए1+ / A1+		ए1+ / A1+			
बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) नामे लिखत के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन - नामे लिखत / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - debt instruments						बीएए3 (सीआर) / पी-3 (सीआर) / Baa3 (cr) / P-3 (cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग - नामे लिखत / Viability Rating - debt instruments							बीबी / bb
बैंक ऑफ बड़ौदा व बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) सावधि जमा कार्यक्रम के प्रतिपक्षी जोखिम मूल्यांकन - सावधि जमा कार्यक्रम / Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) - fixed deposit programme						बीएए3 (सीआर) / पी-3 (सीआर) / Baa3 (cr) / P-3 (cr)	
व्यवहार्यता रेटिंग - सावधि जमा कार्यक्रम / Viability Rating - fixed deposit programme							बीबी / bb

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रेटिंग में संशोधन:

दिनांक 4 मार्च 2020 को मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा (लंदन) के बेसलाइन क्रेडिट एसेसमेंट को डाउनग्रेड किया और बीसीए को बीए2 से समायोजित कर बीए3 किया तथा काउंटरपार्टी रिस्क एसेसमेंट को बीएए3(सीआर)/पी-3(सीआर) निश्चित किया. दिनांक 17 दिसंबर 2019 को फिच रेटिंग्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा की व्यवहार्यता रेटिंग को रेटिंग वॉच निगेटिव से हटा दिया.

Revision in rating during F. Y. 2019-20:

Moody's Investor Service on 4th March 2020 downgraded the Baseline Credit assessment and Adjusted BCA to ba3 from ba2 and affirmed Counterparty Risk Assessment of Bank of Baroda and Bank of Baroda (London) of Baa3(cr)/P-3(cr). Fitch Ratings on 17th December 2019 removed the Viability Rating of Bank of Baroda from Rating Watch Negative.



12. इसका पुष्टीकरण कि निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में दी गई शर्तों का पूरा पालन करते हैं और प्रबंध तंत्र पर निर्भर नहीं हैं – हाँ
13. जहाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 में निदेशक मंडल ने, अनिवार्य रूप से अपेक्षित निदेशक मंडल की किसी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया – शून्य
14. विनियम 32 (7ए) के अधीन निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए निधियों के उपयोग के ब्यौरे – निधियों का प्रयोग पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं के निधियन के लिए किया गया.
15. सूचीबद्ध संस्था व उसकी अनुषंगियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और उन सभी नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क संस्थाओं, जिसमें लेखा परीक्षक एक भागीदार है, सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल फीस – रु. 63.95 करोड़ (जीएसटी सहित)
16. कंपनी सचिव से प्रायः इस आशय का प्रमाण पत्र कि निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक/ कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी वैधानिक स्वायत्तता द्वारा नियुक्त अथवा जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. – प्राप्त किया गया.

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

बैंक द्वारा सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.

गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं –

12. Confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management. - Yes
13. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the FY2019-20 – NIL
14. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – Funds utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.
15. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part. - Rs. 63.95 crore (excluding GST)
16. certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.- obtained

NON-MANDATORY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्र. सं. Sr. No.	गैर- अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	बोर्ड सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते हैं और उनकी झूठी संबंधी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	अनुपालन किया गया. भारत सरकार ने डॉ. हसमुख अद्विया की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में की है. भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया. Complied with. The Government of India has appointed Dr. Hasmukh Adhia as Non-Executive Chairman of the Board. The guidelines issued by GOI are complied with.
2	लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित अभिमत कंपनी को अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Modified opinion(s) in audit report Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
3	आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं. Reporting of Internal Auditor The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्तें सदैव विनियमकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनका बैंक अनुपालन करता है. The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board inter-alia covering Internal Audit function are governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank complies with.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

Disclosure of the compliance with Corporate Governance requirements

नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
17	निदेशक मंडल Board of Directors	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल का गठन और इसकी संदर्भ शर्तें "बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970" अर्थात् अधिनियम के अधीन है। कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है। अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) (आई) के अधीन किया जाता है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।</p> <p>बोर्ड का अधिकांश समय व्यवसाय की रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, गवर्नेंस एवं बैंक के प्रोफाइल पर चर्चा करने में व्यतीत होता है।</p> <p>यह सुनिश्चित किया जाता है की बोर्ड की कार्यप्रणाली पारदर्शी एवं स्वतंत्र रहे।</p> <p>बोर्ड का मूल्यांकन</p> <p>बैंक पीएसबी गवर्नेंस सुधार – गैर-आधिकारिक निदेशकों की बेहतर प्रभावशीलता के माध्यम से गवर्नेंस में वृद्धि संबंधी भारत सरकार के दिनांक 30.08.2019 के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है।</p> <p>The Composition & terms of reference of Board of Directors of Bank of Baroda are governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India.</p> <p>Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and profile of the Bank.</p> <p>Transparency and independence in functioning of the Board are ensured.</p> <p>Board Evaluation</p> <p>The Bank is following GOI guidelines dated 30.08.2019 for PSB Governance Reforms – Enhancing governance through improved effectiveness of non-official directors.</p>
18	लेखा समिति Audit Committee	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है।</p> <p>The composition & terms of reference of the Audit Committee of the Board of Bank of Baroda are governed through RBI's directives / guidelines, which are complied with.</p>
19	नामांकन एवं पारितोषिक समिति Nomination and remuneration committee	<p>इसकी संरचना एवं संदर्भ शर्तें भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है।</p> <p>The composition and terms of reference of which are governed through RBI / GOI directives.</p>
20	हितधारक सम्बंध समिति Stakeholders Relationship Committee	<p>अनुपालन किया गया है। Complied with</p>
21	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	<p>अनुपालन किया गया है। Complied with</p>
22	सतर्कता प्रणाली Vigil Mechanism	<p>अनुपालन किया गया है। Complied with</p>



नियम क्र. Regu No.	संक्षिप्त विवरण Title / Brief description	अनुपालन स्थिति Compliance Status
23	संबंधित पार्टी लेनदेन Related party transactions	अनुपालन किया गया है. Complied with
24	सूचीबद्ध इकाइयों की अनुषंगियों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता Corporate governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	अनुपालन किया गया है. Complied with
25	स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में दायित्व Obligations with respect to independent directors	विनियम 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त As per Regulation 17, as above.
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों एवं प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के सम्बंध में दायित्व Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	अनुपालन किया गया है. Complied with
27	अन्य कार्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताएं Other corporate governance requirements	अनुपालन किया गया है. Complied with
46 (2) (बी) से (आई) 46 (2) (b)to(i)	वेबसाइट Website	अनुपालन किया गया है. Complied with

भौतिक शेयरों को अभौतिकृत करना- एक विशेष अनुरोध:

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि संप्रेषण या पुनर्व्यवस्थापन के मामले छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण करने के लिए अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के साथ डिमैट रूप में धारित न हों, जोकि 01.04.2019 से प्रभावी होगा. अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डिमैट करवा लें.

डिमैट करवाने के लिए शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें जहां उनका डिमैट खाता है. डिमैट करवाने के निम्न लाभ हैं.
1) बाधारहित अंतरण 2) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई भय नहीं 3) लाभांश/कंपनी से प्राप्य लाभ का सीधे और तत्काल खाते में जमा हो जाना 4) नामांकन सुविधा 5) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधा आवेदन.

भौतिक/डिमैट के रूप में धारित शेयर के शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी दर्ज नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण पहल (गो ग्रीन) के समर्थन में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी/बैंक के आरटीए में अपना ईमेल आईडी दर्ज करवाएं.

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

पारदर्शिता एवं अनुपालन अधिकारी

साथ ही, निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप भी बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली के तहत अधिक से अधिक प्रकटीकरण के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

पारदर्शिता अधिकारी

केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप फरवरी 2011 से बैंक ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई है:

- सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) की धारा 4, जो सार्वजनिक प्राधिकारणों के दायित्व से संबंधित है, के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा इसकी प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में, केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), मानद सीपीआईओ द्वारा आरटीआई अनुरोधों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने में मदद करना।
- आरटीआई संबंधित सभी विषयों के लिए आम जन के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना।

बैंक ने इस अधिनियम के निर्देशानुसार अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित सूचना अपलोड की है जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

अनुपालन संबंधी कार्य

बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य, कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक में इस कार्य को पर्याप्त रूप से सुचारु बनाया गया है और इसे स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक मंडल, बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन पर निगरानी रखता है। बैंक ने अनुपालन संबंधी कार्यों को स्पष्ट करते हुए अनुपालन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करवाकर एक प्रभावी और सक्रिय अनुपालन प्रणाली लागू की है।

अनुपालन कार्य, विभिन्न अधिनियमों अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारक अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। विदेशों में जहां पर बैंक के कार्यालय/शाखाएं स्थित हैं वहां पर भी बैंक वहां के विभिन्न नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित मानकों और संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है। साथ ही बैंक आईबीए (भारतीय बैंक संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ) तथा फिमडा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ), राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के नियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों तथा आवश्यकतों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

TRANSPARENCY & COMPLIANCE OFFICER

Further, the following additional functions also enhance the Bank's commitment to more and more disclosures and compliance under the Corporate Governance mechanism of the Bank.

Transparency Officer

In Compliance with the directions of Central Information Commissioner (CIC), the Bank has appointed one of the Senior Officers as Transparency Officer, since February 2011.

The transparency officer is responsible for the following functions:

- To oversee the implementation of Section 4 of Right to Information (RTI) Act detailing with obligations of public authorities and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the Central Information Commissioner (CIC) regarding the progress in implementation of the RTI Act.
- To help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI requests by Central Public Information Officers (CPIS), deemed CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI- related matters.

The Bank has uploaded all the required information as required by the Act in the specified format/s on Bank's website and information is updated from time to time.

Compliance Function

Compliance function in the Bank is one of the key elements in its corporate governance structure. The Compliance function in the Bank is adequately enabled and made sufficiently independent. The Board of Directors of the Bank oversees the management of the Bank's compliance risk. The Bank has put in place a robust compliance system including a well-documented and Board approved Compliance Policy outlining the Compliance philosophy of the Bank.

The Compliance Function ensures strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Securities and Exchange Board of India Act and Prevention of Money Laundering Act etc. as well as ensures observance of other regulatory guidelines issued from time to time. Bank also ensures adherence to regulations of various Regulatory Authorities where the Bank is having its Offices/ Branches at overseas Centres. The Bank is a member of Banking Codes and Standard Board of India and ensures compliance of Standards and Codes prescribed by BCSBI. It also ensures adherence of various guidelines/instructions issued by IBA (Indian Banks Association), FEDAI (Foreign Exchange Dealers Association of India), FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India), National, State and Local Body laws and requirements.



अनुबंध 1

ANNEXURE 1

निदेशक मण्डल का गठन

डॉ. हसमुख अढ़िया – अध्यक्ष (गैर कार्यपालक)

(जन्म तिथि: 3 नवंबर, 1958)

डॉ. हसमुख अढ़िया को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 01.03.2019 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

डॉ. हसमुख अढ़िया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारत सरकार के केन्द्रीय वित्त सचिव एवं राजस्व सचिव के रूप में 30.11.2018 को सेवानिवृत्त हुए। वे गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं। वे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य भी हैं।

आपने एकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरु से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और साथ ही स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु से योग में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है।

वित्त सचिव बनने से पहले वे नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव थे। सचिव, वित्तीय सेवाएं के रूप में इन्हें कई नई कार्यनीतियां लागू करने का श्रेय प्राप्त है जैसे कि बैंकिंग सुधार के लिए ज्ञान संगम व इंद्रधनुष कार्यक्रम और साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और लघु ऋण के लिए मुद्रा योजना।

वित्त/राजस्व सचिव के रूप में उन्हें, आयकर, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर अनुकूल पहल करने का श्रेय प्राप्त है। साथ ही उन्होंने विधिवत जीएसटी लागू करने का कार्य संचालन भी किया जिससे जीएसटी सुचारू रूप से लागू हो सकी। उन्हें, कालाधन के खिलाफ निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी जाना जाता है।

वित्त मंत्रालय में तैनाती से पहले उन्होंने कई अन्य पद संभाले जैसे कि गुजरात के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव (2003-06), प्रधान सचिव (शिक्षा), गुजरात (2008-13), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) गुजरात (2013-14), उद्योग आयुक्त, गुजरात (2001-02), गुजरात औद्योगिक निवेश निगम और गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक।

श्री संजीव चड्ढा-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 25 जून 1963)

श्री संजीव चड्ढा को भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (कार्यपालक) के रूप में दिनांक 20.01.2020 से 3 वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है।

श्री संजीव चड्ढा को बैंकिंग में 32 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने 1987 में भारतीय स्टेट बैंक में अपने करियर की शुरुआत की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में नियुक्ति से पूर्व श्री संजीव चड्ढा भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक एवं एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की मर्चेन्ट एवं इनवेस्टमेंट बैंकिंग इकाई है, के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

COMPOSITION OF THE BOARD

Dr. Hasmukh Adhia - Chairman (Non-Executive)

(DoB: 3rd November, 1958)

Dr. Hasmukh Adhia was appointed as Non-Executive Chairman by the Central Government u/s 9(3)(h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.03.2019, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Hasmukh Adhia, an officer of Indian Administrative Service, retired on 30.11.2018 as Union Finance Secretary & Revenue Secretary in Government of India. He is also the Chancellor of Central University of Gujarat. He also serves as a member of Board of Governors of Indian Institute of Management, Bangaluru.

Dr. Hasmukh Adhia has Post-Graduate degree in Accountancy. He is a Gold medalist from Indian Institute of Management, Bangalore and holds a Ph.D. in Yoga from Swami Vivekanand Yoga University, Bangalore.

Prior to his posting as Finance Secretary, he was Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the period from November, 2014 till August, 2015. As Secretary, Financial Services, he was credited with many new strategies for banking reforms such as Gyan Sangam and Indradhanush as well as social security schemes of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna, Jivan Jyoti Bima Yojna and Atal Pension Yojna, as also for the scheme of micro-financing of Mudra.

As Finance/Revenue Secretary, he was credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the Income-Tax as well as Excise Duty and Service Tax. Also he pursued the agenda of GST systematically as a result of which GST was implemented smoothly. He is also known for his relentless drive against the black money.

Prior to posting in the Ministry of Finance, some of the other positions held by him include Principal Secretary to Chief Minister of Gujarat (2003-06), Principal Secretary (Education), Gujarat (2008-13), Additional Chief Secretary (Finance), Gujarat (2013-14), Industries Commissioner, Gujarat (2001-02), Managing Director of Gujarat Industrial Investment Corporation and Gujarat Industrial Development Corporation.

Shri Sanjiv Chadha - Managing Director & CEO (Executive)

(DoB: 25th June, 1963)

Shri Sanjiv Chadha was appointed as Managing Director & CEO (Executive) by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 20.01.2020, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

Shri Sanjiv Chadha has over 32 years' experience in Banking having started his career with SBI in 1987. Prior to joining Bank of Baroda, Shri Sanjiv Chadha was working as DMD, SBI and MD & CEO of SBI Capital Markets Ltd., the Merchant and Investment Banking arm of SBI.

आपने भारतीय स्टेट बैंक के देश भर में विस्तृत विभिन्न मंडलों एवं विदेशी कार्यालयों में कार्य किया है। आपके कुछ विगत कार्यदायित्वों में भारतीय स्टेट बैंक समूह के अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव का दायित्व शामिल है। आपने भारतीय स्टेट बैंक के लॉस एंजलिस कार्यालय में भी कार्य किया है और यू.के. में क्षेत्रीय प्रमुख भी रहे हैं।

उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में खुदरा बैंकिंग, कार्पोरेट वित्त, निवेश बैंकिंग, विलय और अधिग्रहण, संरचित वित्त एवं प्राइवेट इक्विटी शामिल हैं।

श्री मुरली रामस्वामी – कार्यकारी निदेशक

(जन्मतिथि: 20 दिसंबर 1960)

श्री मुरली रामस्वामी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत के कार्यपालक निदेशक के रूप में 01.10.2019 से अपनी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.12.2020 तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई है।

श्री मुरली रामस्वामी ने दिनांक 01.10.2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री मुरली रामस्वामी ने एमबीए, प्रमाणित लागत एवं कार्य लेखाकार (AICWA) और सीएआईआईबी की योग्यता प्राप्त की है। दिनांक 01.10.2019 को कार्यपालक निदेशक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में शामिल होने से पूर्व आपने 19.02.2018 से 31.03.2019 तक विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य किया।

आपने विजया बैंक में 08.04.1989 को प्रबंधक- वित्तीय विश्लेषक (स्केल -II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तदुपरान्त आपने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न वर्टिकल में काम किया। आपने प्रबंधन के सोपानों पर निरंतर अग्रसर होते हुए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति प्राप्त की तथा मुंबई और कई अन्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। इसके अलावा, जुलाई, 2015 में आपको विजया बैंक के महाप्रबंधक ऋण (परिचालन एवं नीति) के रूप में नियुक्त किया गया। आप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर भी आसीन रहे।

श्री मुरली रामस्वामी एक अनुभवी विशेषज्ञ क्रेडिट पेशेवर हैं जो अपनी सुदृढ़ वित्तीय एवं विश्लेषण संबंधी दक्षताओं के लिए जाने जाते हैं, आपने लंबे समय (12 वर्ष) के लिए ऋण विभाग में काम किया है जिससे आपको उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तावों के अध्ययन में कुशलता हासिल है।

आप दिनांक 19 फरवरी, 2018 को विजया बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए और आपने विभिन्न पोर्टफोलियो जैसे- ऋण [परिचालन], नीति, वसूली, विधि, ट्रेजरी और अन्य महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया।

आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य किया तथा तीन बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक) के समामेलन के पश्चात एकीकरण प्रक्रिया के समग्र रूप से प्रभारी रहे और सहज एकीकरण प्रक्रिया की अगुवाई करते हुए आपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा डिजिटल बैंकिंग विभाग को नेतृत्व प्रदान किया।

इसके अलावा आप लार्ज कार्पोरेट क्रेडिट, कार्पोरेट एवं संस्थागत ऋण, ट्रेड क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी और ग्लोबल मार्केट, नकदी प्रबंधन सेवाएं तथा स्प्ललाई चैन फाइनेंस विभागों को भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

श्री शांति लाल जैन- कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 1 जनवरी, 1965)

श्री शांति लाल जैन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए)

He served in various geographical locations of SBI spread across different circles and abroad. Some of his previous assignments includes Executive Secretary to the Chairman of the SBI Group. He has worked in SBI's Los Angeles Office and was also UK Regional Head.

His areas of specialism include Retail Banking, Corporate Finance, Investment Banking, Mergers & Acquisitions, Structured Finance and Private Equity.

Shri Murali Ramaswami - Executive Director

(DoB: 20th December, 1960)

Shri Murali Ramaswami was appointed as Executive Director by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 01.10.2019, till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier.

Mr. Murali Ramaswami has joined as Executive Director in Bank of Baroda on 01.10.2019. Mr. Murali Ramaswami is an MBA, Certified Cost & Works Accountants (AICWA) and CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.10.2019, he served on the Board of Vijaya Bank as an Executive Director from 19.02.2018 till 31.03.2019.

He joined Vijaya Bank as Manager – Financial Analyst [Scale -II] on 08.04.1989, worked in various verticals in various Geographical Areas. He climbed up the echelons of Management and promoted as General Manager and appointed as the Regional Head of Mumbai and many other Regions. Further, he was posted as General Manager Credit (Operations & Policy) of Vijaya Bank in July, 2015. He was also holding the position of Chief Financial Officer (CFO) of the Bank.

Mr. Murali Ramaswami, groomed as an expert Credit Professional known for his strong finance and analytical skills, he worked in Credit Dept. for a major part (12 years) thereby enabling to study the proposals emanating from various cross section of Industries.

He was elevated to the rank of Executive Director in Vijaya Bank on 19th February, 2018 and handled various portfolios such as Credit [operations], Policy, Recovery, Legal, Treasury and other critical Departments.

He served as an Officer on Special Duty in Bank of Baroda and was in charge of Overall Integration process subsequent to Amalgamation of three Banks [Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank] spearheading smooth integration process and heading Information Technology Department and Digital Banking Dept.

Further he is also handling the Large Corporate Credit, Corporate & Institutional Credit, Trade Credits, International Banking, Treasury & Global Markets, Cash Management Service, and Supply Chain Management.

Shri Shanti Lal Jain – Executive Director

(DoB: 1st January, 1965)

Shri Jain was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 20.09.2018 by the



के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 20.09.2018 से अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए की गई है।

श्री शांति लाल जैन वाणिज्य में स्नातकोत्तर होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और सीएआईआईबी की व्यवसायिक योग्यता प्राप्त हैं। इलाहाबाद बैंक में शामिल होने से पूर्व, आपने लगभग 6 वर्ष विभिन्न उद्योगों में कार्य किया। आपने इलाहाबाद बैंक में 1993 में मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान- II में ज्वाइन किया और महाप्रबंधक पद तक पहुंचे। आपने शाखाओं, अंचल कार्यालय, फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय, स्टाफ महाविद्यालय और प्रधान कार्यालय में कार्य किया है। आपने इलाहाबाद बैंक में अंचल प्रबंधक, आगरा अंचल के रूप में भी कार्य किया है और साथ ही बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और महाप्रबंधक- आईटी का दायित्व भी संभाला है।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची - कार्यपालक निदेशक

(जन्मतिथि: 24 जुलाई, 1962)

श्री खीची की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के पद पर) के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

श्री खीची ने एमबीए (वित्त एवं मार्केटिंग) किया है। साथ ही उन्होंने सीएआईआईबी और जीवन बीमा में एसोसिएट की व्यावसायिक योग्यता भी हासिल की है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आने के पूर्व आप देना बैंक में क्षेत्रीय महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) के पद पर कार्यरत थे। देना बैंक में आपने दिसम्बर, 1985 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया, विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए आप महाप्रबंधक पद तक पदोन्नत हुए और मई, 2015 में देना बैंक के फील्ड महाप्रबंधक (गुजरात परिचालन) का प्रभार ग्रहण किया।

प्रोबेशनरी अधिकारी से शुरूकर महाप्रबंधक के रूप में विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान आपको बैंकिंग परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। शाखा परिचालन के साथ-साथ नियंत्रक कार्यालय स्तर से आयोजना एवं नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आपका अहम योगदान रहा है।

आपको बैंक के रिटेल बैंकिंग, मार्केटिंग (नई पहल और उत्पाद विकास), मर्चेन्ट बैंकिंग, वसूली प्रबंधन, विदेशी कारोबार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने का गहन अनुभव है।

श्री खीची ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, गुजरात के संयोजक के रूप में राज्य सरकार के वरिष्ठ प्राधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विभिन्न संगठनों के उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ गुजरात में सरकार की वित्तीय समावेशन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दिया है।

श्री अमित अग्रवाल- निदेशक (गैर- कार्यपालक) - केंद्र सरकार के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 27 जून, 1970)

श्री अमित अग्रवाल भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत सरकार के मनोनीत निदेशक के रूप में 25.01.2020 से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किए गए हैं।

Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Shanti Lal Jain is a Post Graduate in Commerce, with Professional Qualification of Chartered Accountant, Company Secretary and CAIIB. Prior to joining Allahabad Bank, he worked in various Industries for about 6 years. He joined Allahabad Bank in 1993 in Middle Management Grade/ Scale-II and reached upto General Manager. He worked in Branches, Zonal Office, Field General Manager Office, Staff College and Head Office. He also worked as Zonal Manager, Agra Zone in Allahabad Bank. He also worked as Chief Financial Officer, Chief Risk Officer and General Manager-IT of the Allahabad Bank.

श्री विक्रमादित्या सिंह खीची - Executive Director

(DoB: 24th July, 1962)

Shri Khichi was appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 01.10.2018 by the Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on 1st October, 2018, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Khichi is an MBA (Finance and Marketing), with Professional Qualifications of CAIIB and Associate in Insurance. Prior to joining Bank of Baroda, he was working as Field General Manager (Gujarat Operations) in Dena Bank. He Joined Dena Bank as Probationary Officer in December' 1985, gradually climbed up the ladder and got promoted as Field General Manager (Gujarat Operations) in May'2015 in Dena Bank.

Inculcated blend of operational experience at field level and of planning/policy formulation at Controlling Office during the tenure of 33 years in Dena Bank by serving in varying capacities from being Probationary Officer to General Manager in various Branches & Departments.

Acquired enriching experience across the breadth of various key departments such as Retail Banking, Marketing (New Initiative & Product Development), Merchant Banking, Recovery Management, Overseas Business Center etc.

Groomed leadership quality while discharging duty as Convenor of State Level Bankers' Committee, Gujarat and collaborated efforts with senior officials of State Govt., RBI, various Banks, Insurance Cos. & different organisations in executing numerous Financial Inclusion initiatives in Gujarat State.

श्री अमित अग्रवाल - Director (Non-Executive) - Representing Central Government

(DoB: 27th June 1970)

Shri Amit Agrawal was appointed as Government Nominee Director by the Central Government u/s 9(3)(b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, w.e.f. 25.01.2020, until further order.

श्री अमित अग्रवाल 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। वर्ष 2016 से आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। आपने भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में विशेष रूप से वित्त, तकनीक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पदों पर कार्य किया है।

आपके पूर्व दायित्वों में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद कार्यालय में सलाहकार एवं निदेशक, राष्ट्रीय नवोन्मेषिता परिषद के अध्यक्ष के साथ विशेष पदाधिकारी, विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख तथा जिला स्तर पर स्थानीय सरकारी कार्यालयों के प्रमुख के दायित्व शामिल हैं।

श्री अजय कुमार - निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि

(जन्मतिथि: 20 मई, 1969)

श्री अजय कुमार की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत नामित निदेशक के रूप में 13.01.2017 से अगले आदेश तक के लिए की गई है।

आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं।

आपने भारतीय रिजर्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और आपके पास मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आपने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। आप इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और आपने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी। आपको भारत में विदेशी बैंकों के व्यवहार की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकों हेतु जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति रूपरेखा को प्रमाणित करने का कार्य भी आपके संचालन के अधीन हुआ है। पूर्व में ग्रामीण ऋण और आयोजना में अपने कार्यकाल के दौरान आप चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नामित निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में मार्च 2019 से नई दिल्ली में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में समग्र बैंकिंग ढांचे के विकास के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं।

श्री भरत कुमार डी डांगर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक

(जन्म तिथि: 18 सितंबर, 1978)

श्री भरत कुमार डी. डांगर को बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया है।

आपकी शैक्षिक योग्यताओं में विद्युत अभियांत्रिकी में डिस्टिंक्शन सहित

Shri Amit Agrawal is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he is serving as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services.

An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education.

His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; Head of various State Government departments and agencies; and Head of District-level Local Governments.

Shri Ajay Kumar - Director (Non-Executive) - Representing Reserve Bank of India

(DoB: 20th May, 1969)

Shri Ajay Kumar is nominated as a Director w.e.f. 13.01.2017 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

He has done his Masters in Economics and MS in Banking. He is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking (CAIB).

Shri Ajay Kumar joined RBI in December 1991 and has had a wide experience of 27 years of working in various capacities in the areas of currency management, rural credit and planning, foreign exchange management and banking supervision. He has worked as the Senior Supervisory Manager for the HDFC Bank and the Kotak Mahindra Bank. He was also the Principal Inspecting Officer (PIO) for the annual supervisory process of the Allahabad Bank, the United Bank of India and the UCO Bank and also conducted the comprehensive Asset Quality Review of the latter under his stewardship. He was also assigned the responsibility of monitoring the conduct of foreign banks in India. In the area of foreign exchange management, he has been at the helm of formulating Risk Management Guidelines for banks and also Foreign Direct Investment Policy Framework. Earlier, he has also served as Nominee Director in four Regional Rural Banks during his stint in rural credit and planning. Currently, he is posted as the Regional Director, Reserve Bank of India at New Delhi since March 2019 and is fulfilling his responsibilities towards development of the overall banking infrastructure in New Delhi.

Dr. Bharatkumar D. Dangar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 18th September, 1978)

Dr. Bharatkumar D. Dangar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.



स्नातक और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और एप्लिकेशन में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री शामिल है। आपने आर्टिफिशियल (एआई) में अपनी डॉक्टरेट (पीएचडी) पूरी की है। वर्तमान में आप एम.एस यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा के तकनीकी एवं अभियांत्रिकी संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। आपको विभिन्न कॉर्पोरेट और एसएमई में एक्सपोजर के साथ शैक्षणिक, परिचालन, प्रबंधन, लेखाशास्त्र और मानव संसाधन के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। आप वित्तपोषण, फसल बीमा, ऋण सुविधाओं आदि के साथ किसानों के विभिन्न मुद्दों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप सरकार के विभिन्न स्तरों पर किसानों एवं उद्योग जगत के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं जिससे संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। आप सामाजिक कल्याण के विभिन्न मामलों के साथ काफी सक्रियता से जुड़े रहे हैं।

श्रीमती सौंदरा कुमार- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक
(जन्म तिथि: 15 अगस्त, 1954)

श्रीमती सौंदरा कुमार का चयन, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 24.12.2017 से 23.12.2020 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए, शेयरधारक निदेशक के रूप में किया है।

आपने स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से गणित में स्नातक किया है। आपने सीआईआईबी भी किया है। उन्होंने 1975 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 2014 में अपनी सेवानिवृत्त तक कार्यरत रही। इस अवधि के दौरान उन्होंने एसएमई, रिटेल और कृषि एवं ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं के शाखा प्रमुख सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप तिरुचिरापल्ली में बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में संकाय सदस्य के रूप में, चेन्नै सर्कल में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर, वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिसिया शाखा, कैलिफोर्निया यूएस, बाद में प्रेसिडेंट, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कैलिफोर्निया) एवं बैंक के लॉस एंजल्स एजेंसी के सीईओ के रूप में कार्यरत रही हैं। आप अक्टूबर 2008 से बैंक के स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर की प्रबंध निदेशक भी वहीं जहां उन्होंने 2010 में इसका सफलता पूर्वक विलय मूल बैंक में करवाया। वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृत्त तक आप बैंक के भारतीय स्टेट बैंक में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन प्रभारी के रूप में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहें।

आपने 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एसबीआई के होलसेल बैंकिंग क्रेडिट समिति की अध्यक्षता भी की है एवं कापोरिट सेंटर निवेश समिति एवं क्रेडिट नीति व प्रक्रिया समिति की भी स्थायी सदस्य रही हैं। आपने वित्तीय समावेशन हेतु कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को ऊपर उठाने हेतु उपाय सिफारिश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कापोरिट ऋण पुनर्गठन तंत्र के कोर समूह की भी सदस्य रही हैं। आपने एआरसीआईएल, सरसाई आदि के निदेशक मंडल में एसबीआई के नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री श्रीनिवासन श्रीधर- निदेशक (गैर-कार्यपालक)- शेयरधारक निदेशक
(जन्मतिथि 3 मई, 1960)

श्री श्रीनिवासन श्रीधर शेयरधारक निदेशक के रूप में, बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत दिनांक 12.12.2018 से 11.12.2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं।

His education accomplishments include Electrical Engineering with distinction and Masters in Engineering with specialization in Microprocessor systems and application. He did his doctorate (Ph.d) in Artificial Intelligence (AI). He currently serves as Assistant Professor in Faculty of Technology and Engineering of M.S. University, Baroda. He brings with him a rich experience in fields of Academics, Operations, Management, Accountancy and Human Resource with exposure to various Corporates and SMEs. He is well versed with various farmers' issues including financing, crop insurance, credit facilities etc. He has raised issues of farming community and Industry at various levels of Government which resulted into many improvements in respective fields. He is quite active in issues related to welfare of society at large.

Smt. Soundara Kumar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 15th August, 1954)

Smt. Soundara Kumar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 24.12.2017 to 23.12.2020.

She has done her graduation in Mathematics from Stella Maris College, Chennai. She is also CAIIB. She joined State Bank of India as a Probationary Officer in 1975 and continued till her retirement in 2014. During this period she held various assignments including heading branches, SME, Retail and Rural & Agriculture (Financial Inclusion). She was also a faculty member in the Bank's Training Centre, at Tiruchirapalli; Regional Manager, Chennai Circle; Senior Vice President, Artesia branch, California US; later as President State Bank of India (California) and CEO of the Los Angeles Agency of the Bank. She was Managing Director of the State Bank of Indore from October, 2008, where she successfully steered the merger of the Bank with the Parent Bank in 2010. She held the position of Dy. Managing Director, in charge of Stressed Assets Management, in SBI till her retirement in 2014.

She has also headed Wholesale Banking Credit Committee of SBI for over -3- years and was a permanent member of Corporate Centre Investment Committee and Credit Policies and Procedures Committee. She served as member of RBI Working Group to recommend measures for scaling up the Business Correspondent (BC) model for Financial Inclusion. She was also a member of Core Group of Corporate Debt Restructuring mechanism set up by RBI. She also served as a nominee director of SBI on the Boards of ARCIL, CERSAI, etc.

Shri Srinivasan Sridhar - Director (Non-Executive) - Shareholder Director

(DoB: 3rd May, 1960)

Shri Srinivasan Sridhar is an elected Shareholder Director under section 9 (3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 12.12.2018 to 11.12.2021.

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम (ऑनर्स) किया है और एक सनदी लेखाकार हैं।

श्री श्रीधर 2013 से एक अग्रणी ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में वे अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ प्रबंधन कार्यनीति, क्लाइंट कवरेज मॉडल, उत्पाद एवं वितरण कार्यनीति तथा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे विषयों पर कार्य करते हैं।

श्री श्रीधर का देश-विदेश में वित्तीय सेवा विशेषज्ञ के रूप में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वे सिटीग्रुप से 28 वर्षों से जुड़े रहे और एशिया, अफ्रीका व यूरोप के 6 देशों में कार्य किया। उन्होंने सिटीग्रुप के 3 देशों के सीईओ, भारत के कॉर्पोरेट प्रमुख, अफ्रीका में ट्रांजेक्शन सेवाओं के प्रमुख तथा मध्य व पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में बैंकिंग सेवा समूहों के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। श्री श्रीधर को बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट इनवेस्टमेंट बैंकिंग, उत्पाद प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस एवं विनियामक अनुपालन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।

श्री श्रीधर मुंबई में रहते हैं तथा वे बॉलीवुड, फुटबॉल एवं वन्य प्राणियों के शौकीन हैं। वे बाल कल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण, सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं।

प्रोफेसर बिजू वर्की – निदेशक (गैर कार्यपालक)

(जन्मतिथि: 22 दिसंबर 1965)

प्रो. बिजू वर्की की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 25 अक्टूबर, 2019 से 1 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

आपने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरला से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है। वर्तमान में आप आईआईएम, अहमदाबाद में मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप आईआईएमए की ई-पीजीपी कार्यदल के प्रमुख भी हैं जिसे आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है।

आपको विभिन्न उद्योगों, कंसल्टिंग तथा अग्रणी प्रबंधन स्कूलों के साथ कार्य का पेशेवर अनुभव है। आपने आईआईएम, लखनऊ तथा एमडीआई, गुडगांव में अध्यापन कार्य किया है। आपने बहुविध संगठनों जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी और संगठनों जैसे यूएनआईटीईएस एवं आईटीयूसी के साथ भी काफी सन्निकटता के साथ कार्य किया है। आपकी शैक्षणिक अभिरूचियों में नीतिपरक मा.सं.प्र., परिवर्तन प्रबंधन, नया लोक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, फर्मा के लिए मानव संसाधन संरचना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और सुधार, फ्लेक्सिबल कार्यस्थल, रोजगार संबंध, स्टार्ट अप और पारिवारिक व्यवसाय रूपांतरण प्रमुख हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में आपके आलेख प्रकाशित हुए हैं तथा आपने एचआरएम से संबंधित पुस्तकों का सह-संपादन भी किया है। आपने गैरी डेस्लर के साथ मिलकर मानव संसाधन प्रबंधन पर एक पाठ्य पुस्तक भी लिखी है। आपने 30 से भी ज्यादा केस स्टडी एवं तकनीकी नोट्स तैयार किए जिसमें एक केस स्टडी को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साथ ही आप सेंट पीटर्स स्कूल, पंचगनी तथा एमसीमैट, केरल के न्यासी-मंडल के सदस्य हैं। आपने नेशनल एचआरडी नेटवर्क दिल्ली चैप्टर (1998-1999) की कोर समिति, साथ ही इंडिया यंग एचआर सम्मेलन की आयोजन समिति में नामित सदस्य के तौर पर कार्य किया है। आपने एनआईपीएम, केरल (2015) के वार्षिक एचआर कान्फ्रेंस की तकनीकी समिति की अध्यक्षता की, साथ ही आप स्ट्रैटिजिक मैनेजमेंट फोरम ऑफ इंडिया की स्थापनाकर्ता शासकीय निकाय के सदस्य भी रहे हैं।

Mr. Sridhar is a B.Com (Hons.) from Delhi University and a Chartered Accountant.

Mr. Sridhar has been associated with a leading global management consulting firm since 2013. In this role he works with CEOs, Boards of Directors and other senior leaders of top Financial Services companies in the region on topics such as Management Strategy, Client Coverage Models, Product and Distribution Strategies, Cost Optimization etc.

Mr. Sridhar is a financial services expert with over 30 years of experience gained internationally and in India. He was with Citigroup for 28 years and has worked in 6 countries across Asia, Africa and Europe. Some of the leadership positions he held with Citigroup included being CEO for three countries, Corporate Bank Head for India, Transaction Services Head for Africa and Bank Services Group Head for Central, Eastern Europe, Middle East and Africa. Mr. Sridhar brings deep banking experience and track record from around the globe in areas such as Corporate and Investment Banking, Product Management, Risk Management, Governance and Regulatory Compliance.

Mr. Sridhar lives in Mumbai and is passionate about Bollywood, Football and Wildlife. The social causes that he cares about are child welfare, economic empowerment, education and health for the under-privileged.

Prof. Biju Varkkey – Director (Non-Executive)

(DoB: 22nd December 1965)

Prof. Biju Varkkey was nominated as a Part Time Non-Official Director w.e.f. 21st October, 2019 by the Central Government u/s 9(3) (h) and 9(3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 1 year or until further orders, whichever is earlier.

He obtained Master's degree in Human Resource Management from Mahatma Gandhi University, Kerala and Fellow title in Management from NIBM, Pune. Currently he is faculty member at IIM Ahmedabad with the Human Resource Management. Additionally he heads the e-PGP task force of IIMA, which is mandated to lounge long duration virtual learning programs from IIMA.

His professional experience spans across industry, consulting and leading management schools, having taught at IIM Lucknow and MDI Gurgaon. He works closely with multilateral organizations like ILO, IOM, UNDP and organizations like UNITES and ITUC. His areas of academic interest include Strategic HR, Change Management, New Public Management, Leadership Development, HR Architecture for firms, Performance Management & Improvement, Flexible Work places, Employment Relations, Startups and Family Business transformation. He has published in national and international journals and also co-edited books on HRM practices. He coauthored text book 'Human Resource Management' along with Gary Dessler. He has authored more than 30 case studies and technical notes, including award winning case study. He is also a member of the board of trustees of St Peters School, Panchgani and member of governing council of MCMAT, Kerala. He has served as nominated member in the Core Committee of the National HRD Network – Delhi Chapter (1998-1999), organizing committee for India Young HR Conference, Chair of Technical Committee for Annual HR Conclave of NIPM Kerala (2015) and was member of the founding governing body of the Strategic Management Forum of India.



अनुलग्नक - 1ए
निदेशकों से संबंधित अन्य विवरण:
(यथास्थिति 31.03.2020)

Annexure - 1A
OTHER DETAILS OF DIRECTORS:
(Position as on 31.03.2020)

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक के शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of membership in Sub - Committees of the Bank	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. हसमुख अडिया Dr. Hasmukh Adhia	शून्य NIL	5	0	शून्य NIL
श्री संजीव चड्ढा Shri Sanjiv Chadha	शून्य NIL	11	0	शून्य NIL
श्री मुरली रामस्वामी Shri Murali Ramaswami	7143	11	0	1. बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 2. इंडिया इंफ्राडेब्ट लिमिटेड 1. BOB Capital Market Limited 2. India Infradebt Limited
श्री शांति लाल जैन Shri Shanti Lal Jain	6500	10	0	1. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड 2. बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड 3. बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड 4. बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड 1. Baroda Global Shared Services Limited 2. Barodasun Technologies Ltd 3. Bank of Baroda (Uganda) Limited 4. Bank of Baroda (Tanzania) Limited
श्री विक्रमादित्य सिंह खीची Shri Vikramaditya Singh Khichi	6500	10	1	1. इंडिया फस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2. बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड 3. बॉब फायनेंशियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड 4. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड 5. बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड 1. IndiaFirst Life Insurance Company Limited 2. Baroda Asset Management India Limited 3. BOB Financial Solutions Limited 4. Indo Zambia Bank Ltd. 5. Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
श्री अमित अग्रवाल Shri Amit Agrawal	शून्य NIL	2	0	शून्य NIL
श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar	शून्य NIL	3	0	शून्य NIL

निदेशक का नाम Name of Director	बैंक के शेयरों की संख्या No. of shares of Bank	बैंक की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of membership in Sub - Committees of the Bank	अन्य कम्पनियों में सदस्य/ अध्यक्ष के रूप में निदेशक मण्डल की उप समितियों की संख्या जिनमें वे सदस्य हैं No. of Membership / Chairmanship held in Sub - Committees of the Board in other Companies	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों/ इकाइयों के निदेशक मण्डल में निदेशक स्वरूप शामिल Directorship held in other Companies / entities i.e. Other than the Bank
डॉ. भरतकुमार डी. डंगर Dr. Bharatkumar D. Dangar	500	6	0	शून्य NIL
श्रीमती सौंदरा कुमार Smt. Soundara Kumar	200	2	4	1. राजपल्लयम मिल्स लिमिटेड 2. तामिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड 3. शांति गियर्स लिमिटेड 4. रामको सिस्टम्स लिमिटेड 5. सुंदरम ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6. क्यूमी लिमिटेड 1. Rajapalayam Mills Limited 2. Tamilnadu Newsprint and Papers Limited 3. Shanthi Gears 4. Ramco Systems Limited 5. Sundaram Trustee Company Limited 6. Cumi Limited
श्री श्रीनिवासन श्रीधर Shri Srinivasan Sridhar	500	6	4	1. ओरेकल फायनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2. इंडिया फैक्ट्रींग एवं फायनेंस सॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड 3. एफआईएनसीए बैंक जॉर्जिया 4. विवृति कैपिटल प्रा. लिमिटेड 5. विवृति एसेट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड 6. एफआईएनसीए अज़रबैजान 1. Oracle Financial Services Software Limited 2. India Factoring and Finance Solutions Private Limited 3. FINCA Bank Georgia 4. Vivriti Capital Private Limited 5. Vivriti Asset Management Private Limited 6. FINCA Azerbaijan
प्रो. बिजू वर्ककी Prof. Biju Varkkey	शून्य NIL	6	0	1. कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लिमिटेड 2. हसीस कंसल्टिंग लिमिटेड 3. एस्टर डीएम हेल्थकेयर 1. Konnect CSR Impactors Private Limited 2. Husys Consulting Limited 3. Aster DM Healthcare



घोषणा

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V - भाग (डी) के अनुसार प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र.

यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 26 (3) के अनुसार "बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता" के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

श्री संजीव चड्ढा

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 23 जून, 2020

DECLARATION

Declaration of the Managing Director & CEO pursuant to Schedule V – Part (D) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the "Bank of Baroda - Code of Conduct for Directors and Senior Management Personnel" for the Financial Year ended on 31st March, 2020 in accordance with Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

Sanjiv Chadha

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date 23rd June 2020



फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

Form No. MR - 3

Secretarial Audit Report

For the financial year ended March 31, 2020

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

प्रति,

सदस्य

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बैंक ऑफ़ बड़ौदा (इसके बाद जिसे बैंक के नाम से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट पद्धतियों के पालन हेतु 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालयीय लेखापरीक्षा करवाई थी. सचिवालयीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि कॉर्पोरेट आचरणों/ सांविधिक अनुपालनों और उस पर हमारे विचारों के मूल्यांकन के लिए व्यवहार्य आधार उपलब्ध हो सके.

बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवालयीय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2020 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा बैंक के पास निम्नलिखित तरीके और रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली भी है:

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त से संबंधित कागजातों, फॉर्मों, फाइल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसमें उल्लिखित नियमों (जहां तक लागू हो);
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसमें उल्लिखित नियमों;
- निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसमें उल्लिखित विनियमों और उप कानूनों;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों से संबंधित उल्लिखित लागू विनियमनों;
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत प्रस्तावित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों:-
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (शेयरों का तात्त्विक अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011.
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम एवं क्लॉइंटों से डील करने के संदर्भ में (जहां तक लागू हो)
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्रिटी शेयरों का गैर सूचीयन) विनियम, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं); और
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सिक्वोरिटीज विनियम, 1998 का बायबैक; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं);

To,

The Members

BANK OF BARODA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of Baroda (hereinafter called the Bank) for the year ended on March 31, 2020. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2020 (Audit Period) complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended March 31, 2020 according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder (to the extent applicable);
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018
 - The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008
 - The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (to the extent applicable.)
 - The Securities and Exchange Board of India (Delisting of equity shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period); and
 - The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities Regulations, 1998; (Not applicable to the Bank during the Audit Period);



आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; तथा

- vi. हमने बैंक के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा स्थापित सिस्टम एवं पद्धतियों हेतु बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर विश्वास किया है।

हमारा यह मानना है कि प्रबंधन ने विशेष तौर से बैंक के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है।

- 1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम')
- 2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- 3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
- 4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक को नियंत्रित करने वाला विशेष प्रावधान है, चूंकि बैंक संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित एक कॉर्पोरेट संस्था है।

हमने लागू निम्नलिखित धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- i. भारतीय सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीय मानक.
- ii. बैंक द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया सूचीयन करार.

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त उल्लिखित अभिमतों के अधीन अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

- (ए) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) के अंतर्गत निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने की विफलता और रोटोमैक ग्रुप कंपनी के खाते में धोखाधड़ी से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर रु. 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है।
- (बी) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) और धारा 51 के अंतर्गत ऋणी के एक खाते में धोखाधड़ी रिपोर्ट करने में विलंब करने पर बैंक पर रु. 50 लाख (पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है।
- (सी) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47 (ए)(1)(सी) और धारा 51(1) के अंतर्गत भागलपुर शाखा में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के विभिन्न खातों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अवमानना के लिए बैंक पर कुल रु. 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख रूपए मात्र) का अर्थदंड लगाया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव भारत सरकार की अधिसूचनाओं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- 1) बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रो. बीजू वरकरी का कार्यकाल 24.04.2019 को समाप्त हो गया।
- 2) सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत बैंक के निदेशक के रूप में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कार्यकाल 25.07.2019 को समाप्त हो गया।
- 3) बैंक के कार्यपालक निदेशक सुश्री पापिया सेनगुप्ता 30.09.2019 को सेवानिवृत्त हो गई हैं।
- 4) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/4/2018-बीओ.आई दिनांक 15.04.2019 के माध्यम से श्री मुरली रामास्वामी की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में 01.10.2019 से उनकी अधिवर्षिता अर्थात् 31.12.2020 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है।
- 5) अधिसूचना सं. एफ.नं.6/1/2018-बीओ.आई (खंड-III) 1 दिनांक 21.10.2019 के माध्यम से प्रो. बीजू वरकरी की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में 21.10.2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है।

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and

- (vi) We have relied on the representation made by the Bank and its Officers for systems and mechanism formed by the Bank for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Bank.

We are of the opinion that the management has complied with the following laws specifically applicable to the Bank:

- 1) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act')
- 2) The Reserve Bank of India Act, 1934
- 3) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
- 4) The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special provisions governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.

We have also examined compliance with applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations.

- (a) RBI under Section 47(A)(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs.1.50 crore (Rupees One crore Fifty Lakh only) on Bank of Baroda for failure to ensure end use of funds and non-compliance with directions on frauds in the account of Rotomac Group Companies..
- (b) Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) and Section 51 of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 50 lakh (Rupees Fifty Lakh only) on the Bank for delay in reporting the fraud in one of the borrowal account.
- (c) Reserve Bank of India under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) and Section 51(1) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty aggregating to Rs. 2.50 crore (Rupees two crore fifty lakh only) on the Bank for non-compliance with the directions issued by the RBI in various accounts of Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Ltd. at Bhagalpur Branch.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out vide Government of India notifications and in compliance with the provisions of the Act.

During the year following changes took place in the Management of the Bank:

- 1) Completion of term of office of Prof. Biju Varkkey as Non Executive Director of Bank on 24.04.2019
- 2) Completion of term of office of Shri Gopal Krishan Agarwal as Director under Chartered Accountant Category of Bank on 25.07.2019.
- 3) Superannuation of Smt. Papia Sengupta as an Executive Director of the Bank on 30.09.2019.
- 4) Appointment of Shri Murali Ramaswami as Executive Director on the Board of Bank vide notification no. F. No. 4/4/2018-BO.I dated 15.04.2019 with effect from 01.10.2019 till his superannuation i.e., 31.12.2020, or until further order, whichever is earlier.
- 5) Appointment of Prof. Biju Varkkey as part-time non-official Director on the Board of Bank vide notification no. F.No.6/1/2018-BO-I (Vol-III)1 dated 21.10.2019 with effect from 21.10.2019, for a period of one year or until further orders whichever is earlier.



- 6) बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री पी. एस. जयकुमार का कार्यकाल 12.10.2019 को समाप्त हो गया।
- 7) अधिसूचना सं. एफ.नं.4/3/2019-बीओ.आई दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से श्री संजीव चड्ढा की नियुक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में 20.01.2020 से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, की गई है।
- 8) अधिसूचना सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ.आई (खंड-II) दिनांक 24.01.2020 के माध्यम से श्री अमित अग्रवाल की नियुक्ति बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामित निदेशक के रूप में 25.01.2020 या अगले आदेशों तक, की गई है।

बोर्ड बैठकों को शिड्यूल करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित सूचना दी गई और सभी निदेशकों को एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली उपलब्ध है।

अधिकांश निर्णयों पर सहमति बनी, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया गया है।

हम इसके अलावा रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में इसके आकार और परिचालन के अनुरूप पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं।

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में ऐसी विशिष्ट घटनाएं या कार्य रहे हैं जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण से संबंधित हैं:

- 1) बैंक ने 01.04.2019 को पूर्ववर्ती विजया बैंक और पूर्ववर्ती देना बैंक के पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक रु 2/- के 77,26,51,938 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- 2) दिनांक 28.05.2019 को पूर्ववर्ती देना बैंक के आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज II के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 125.00 करोड़ है।
- 3) दिनांक 10.06.2019 को बॉन्ड सीरीज XI के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 500.00 करोड़ है।
- 4) बैंक ने 17.06.2019 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को प्रत्येक रु 2/- के 42,85,59,286 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- 5) दिनांक 11.09.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 5000 7.75% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXII का आबंटन किया गया।
- 6) भारत सरकार (प्रवर्तक) ने दिनांक 10.10.2019 को भारत ईटीएफ को 64,61,221 शेयर अंतरित किए हैं।
- 7) बैंक ने 25.10.2019 को बॉब ईएसपीएस के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों को प्रत्येक रु 2/- के 12,23,73,432 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- 8) दिनांक 25.11.2019 को आईपीडीआई बॉन्ड सीरीज III के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 600.00 करोड़ है।
- 9) दिनांक 28.11.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 16500 8.70% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज X का आबंटन किया गया।
- 10) दिनांक 18.12.2019 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, बेमीयादी) के अंकित मूल्य के 17470 8.99% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज XI का आबंटन किया गया।
- 11) बैंक ने 12.12.2019 को प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को प्रत्येक रु 2/- के 65,14,65,798 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- 12) दिनांक 03.01.2020 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 9200 7.44% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXIII का आबंटन किया गया।
- 13) दिनांक 09.01.2019 को बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज V के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 1000.00 करोड़ है।
- 14) दिनांक 15.01.2020 को रु. 10,00,000 / - प्रत्येक (बेजमानती, मोचनीय) के अंकित मूल्य के 2000 7.84% - बैंक ऑफ बड़ौदा - बेसल III कंपलेंट टियर II बांड - सीरीज XXIV का आबंटन किया गया।
- 15) दिनांक 01.02.2020 को पूर्ववर्ती विजया बैंक के बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज I के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 100.00 करोड़ है।
- 16) दिनांक 27.03.2020 को पूर्ववर्ती विजया बैंक के बेसल III कंपलेंट एटी I बांड - सीरीज II के कॉल ऑप्शन/रिडेम्पशन की कुल राशि रु. 400.00 करोड़ है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
रागिनी चोकशी
(साझेदार)

सी.पी.नंबर 1436

एफसीएस नंबर. 2390

यूडीआईएन: F002390B000317331

- 6) Completion of term of office of Shri P S Jayakumar as Managing Director and CEO of Bank on 12.10.2019.
- 7) Appointment of Shri Sanjiv Chadha, as Managing Director & Chief Executive Officer on the Board of Bank vide notification no. F. No. 4/3/2019-BO.I dated 20.01.2020, with effect from 20.01.2020 for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.
- 8) Appointment of Shri Amit Agrawal, as Government Nominee Director on the Board of Bank vide notification no. F.No.6/3/2012-BO.I (Vol. II) dated 24.01.2020, with effect from 25.01.2020 and until further orders.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

- 1) The Bank has allotted 77,26,51,938 Equity Shares of Rs. 2/- each to eligible shareholders of eVijaya Bank and eDena Bank on 01.04.2019.
- 2) Call option/Redemption of IPDI Bond Series II aggregating Rs. 125.00 Cr. of eDena Bank on 28.05.2019.
- 3) Call option/Redemption of Bond Series XI aggregating Rs. 500.00 Cr. on 10.06.2019.
- 4) The Bank has allotted 42,85,59,286 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 17.06.2019.
- 5) Allotment of 5000 7.75% - Bank of Baroda - Basel III Compliant Tier II Bonds - Series XXII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 11.09.2019.
- 6) Government of India (Promoter) has transferred 64,61,221 Shares to Bharat ETF on 10.10.2019.
- 7) The Bank has allotted 12,23,73,432 Equity Shares of Rs. 2/- each to Employees of Bank of Baroda under BOB ESPS 2019 on 25.10.2019.
- 8) Call option/Redemption of IPDI Bond Series III aggregating Rs. 600.00 Cr. on 25.11.2019.
- 9) Allotment of 16500 8.70% - Bank of Baroda - Basel III Compliant AT 1 Bonds - Series X of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 28.11.2019.
- 10) Allotment of 17470 8.99% - Bank of Baroda - Basel III Compliant AT 1 Bonds - Series XI of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Perpetual) on 18.12.2019.
- 11) The Bank has allotted 65,14,65,798 Equity Shares of Rs. 2/- each to Promoter and Promoter Group on 12.12.2019.
- 12) Allotment of 9200 7.44% - Bank of Baroda - Basel III Compliant Tier II Bonds - Series XXIII of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 03.01.2020.
- 13) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series V aggregating Rs. 1000.00 Cr. on 09.01.2020.
- 14) Allotment of 2000 7.84% - Bank of Baroda - Basel III Compliant Tier II Bonds - Series XXIV of face value of Rs. 10,00,000/- each (Unsecured, Redeemable) on 15.01.2020.
- 15) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series I aggregating Rs. 100.00 Cr. of eVijaya Bank on 01.02.2020.
- 16) Call option/Redemption of Basel III Compliant AT 1 Bond Series II aggregating Rs. 400.00 Cr. of eVijaya Bank on 27.03.2020.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Ragini Chokshi
(Partner)
C.P.No. 1436
FCS No. 2390
UDIN: F002390B000317331

स्थान: मुंबई

दिनांक: जून 04, 2020

Place : Mumbai

Date : June 04, 2020